राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट
अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण
बी–1 विंग, सातवाँ तल
पं0 दीनदयाल अंतयोदया भवन,
सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स, लोधी रोड़,
नई दिल्ली–110003

विषय सूची

क्रम सं.	अध्याय सं.	मद	पृष्ठ संख्या
1	अध्याय I	प्रस्तावना	3
2	अध्याय II	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन और इनके परिवर्तनों एवं इसके प्रकार्यों सहित	4-6
3	अध्याय III	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें और उसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय	7-21
4	अध्याय IV	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समिति / दल	22-27
5	अध्याय V	प्रशासनिक मामले	28-40
6	अध्याय VI	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वित्त एवं लेखे	41
7	अध्याय VII	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना	42-44
8	अध्याय VIII	अनुपालन	45-51
9	अध्याय IX	अनुलग्नक	52
10	(i)	व्याघ्र रिजर्वों (राज्यवार) की सूची	53-54
11	(ii)	बाघ आरक्षों के अन्दर एवं बाहर बाघ मृत्यु (प्राकृतिक एवं अन्य कारण)	55-58
12	(iii)	वर्ष के दौरान बाघ रिजर्वों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना - व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत जारी स्वीकृति (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)	59-62
13	(iv)	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का वर्ष के 31 मार्च को वित्तीय विवरण / तुलन पत्र	63
14	(v)	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का आय एवं व्यय लेखा	64
15	(vi)	राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का वर्ष के 31 मार्च कोप्राप्तियां एवं भुगतान	65-67
16	अनुसूची - 1	वर्ष के 31 मार्च को तुलन पत्र में शामिल होने वाली समग्र / पूंजीगत निधि	68
17	अनुसूची - 2	आरक्षिति और अधिशेष	69
18	अनुसूची - 3	उद्दिष्ट / स्थायी निधियां	70
19	अनुसूची - 4	प्रतिभूत ऋण एवं उधार	71
20	अनुसूची - 5	अप्रतिभूत ऋण और उधार	72
21	अनुसूची - 6	आस्थगित ऋण और देयताएं	73
22	अनुसूची - 7	चालू देयता एवं प्रावधान (दिनांक 31. 03. 2019 की स्थिति के अनुसार)	74

23	अनुसूची - 8	अचल आस्तियां (दिनांक 31. 03. 2019 की स्थिति के अनुसार)	75-76
24	अनुसूची - 9	उद्दिष्ट / स्थायी निधियां में निवेश	77
25	अनुसूची - 10	अन्य निवेश (दिनांक 31. 03. 2019 की स्थिति के अनुसार)	78
26	अनुसूची - 11	अन्य निवेश (दिनांक 31. 03. 2019 की स्थिति के अनुसार)	79-80
27	अनुसूची - 12	बिक्री सेवाओं से आय	81
28	अनुसूची - 13	अनुदान / सब्सिडी	82
29	अनुसूची - 14	शुल्क / अभिदान	83
30	अनुसूची - 15	निवेश से आय	84
31	अनुसूची - 16	रॉयल्टी / प्रकाशन से आय	85
32	अनुसूची - 17	सावधि जमा / बचत खातों पर अर्जित ब्याज /ऋण	86
33	अनुसूची - 18	अन्य आय	87
34	अनुसूची - 19	तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी	88
35	अनुसूची - 20	स्थापना व्यय	89
36	अनुसूची - 21	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	90
37	अनुसूची - 22	अनुदान	91
38	अनुसूची - 23	ब्याज	92
39	अनुसूची - 24	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	93
40	अनुसूची - 25	लेखाओं संबंधी आकस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणियां	94
41		बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट	95-105

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तकके वित्तीयवर्ष की वार्षिक रिपोर्ट

(राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के गठन के बाद से दसवीं वार्षिक रिपोर्ट)

अध्याय I

<u>प्रस्तावना</u>

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन वर्ष 2006 में यथासंशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम,1972के समर्थकारी उपबंधों के अंतर्गत,उक्त अधिनियम के तहत इसे सौंपी गई शक्तियों एवं प्रकार्यों के अनुसार व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए किया गया है।

यह प्राधिकरण व्याघ्र प्रस्थिति के मूल्यांकन पर आधारित परामर्शी /निर्देशात्मक दिशानिर्देश, चालू संरक्षण पहलों और विशेष रूप से गठित समितियों के माध्यम से पर्यवेक्षण प्रतिधारित रखते हुए देश में व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के दायरे में अपने अधिदेश को पूरा कर रहा है। यह प्राधिकरण वर्तमान में 'व्याघ्र परियोजना' के माध्यम से 18 व्याघ्र रेंज राज्यों में फैले 50 टायगर रिजर्वोंको निधियन सहायता प्रदान करता है।'व्याघ्र परियोजना' व्याघ्रों के यथा स्थिति संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना है और यह योजना विलुप्तप्राय व्याघ्र को विलुप्त होने से बचाकर पुनर्प्राप्ति के सुनिश्चित मार्ग पर लाई है, जैसा किपरिष्कृत पद्धति का उपयोग करते हुएअखिल भारतीय व्याघ्र अनुमान के हालिया निष्कर्षों में सामने आया है।

<u>व्याघ्र संरक्षण के उद्देश्य</u> :

वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यीकरण, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकीय मूल्यों के लिए भारत में व्याघ्रों की संख्या को जीवनक्षम स्तर तक बनाए रखने तथा लोगों को लाभ, उनकी शिक्षा एवं आनंद के लिए जैविक महत्व के क्षेत्रों का सदैव राष्ट्रीय धरोहर के रुप में संरक्षण करना।

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के उद्देश्य :

1. व्याघ्र परियोजना को सांविधिक प्राधिकार प्रदान कराना ताकि इसके निर्देशों के अनुपालन कोकानूनी दायरे में लाया जा सके।
2. हमारे संघीय ढांचे के अंतर्गत, राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए एक आधार प्रदान कर टायगर रिजर्वों के प्रबंधन में केन्द्र-राज्य उत्तरदायित्व कायम हो।
3. संसद द्वारा निगरानी की व्यवस्था करना।
4. टायगर रिजर्वों के आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोगों की आजीविका के हितों पर ध्यान देना।

*****

अध्याय II

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन और इसमें किए गए परिवर्तन और इसके प्रकार्य

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन दिनांक 04.09.2006 को, अन्य बातों के साथ - साथ व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन में निर्देशात्मक मानकों को सुनिश्चित कर, आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार कर, संसद के पटल पर वार्षिक / लेखापरीक्षा रिपोर्ट रखकर, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कर व्याघ्र संरक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए किया गया था। राजपत्र अधिसूचनाद्वारा गठित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों की सूची इस प्रकार है:

1.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री	- अध्यक्ष
2.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री	- उपाध्यक्ष
3.	संसद सदस्य (लोकसभा) : श्री नगेन्द्र सिंह	- सदस्य
4.	संसद सदस्य (लोकसभा) : श्री राजू शेट्टी	- सदस्य
5.	संसद सदस्य (राज्य सभा): श्री के. सी.रामामूर्ति	- सदस्य
6.	श्री पी.आर. सिन्हा, पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून,मकान सं. के-1-12, सेक्टर-डी, प्रसाद लैब, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना, बिहार-800020	- सदस्य
7.	डॉ. तिष्यरक्षित चटर्जी, सेवा निवृत्त सचिव, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, रिंग रोड़, नई दिल्ली	- सदस्य
8.	श्री हेमेन्द्र कोठारी, अध्यक्ष, डीएसपी ब्लैक रॉक, मफतलाल सेन्टर, दसवां तल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021, महाराष्ट्र	- सदस्य
9.	श्री बी.के.पटनायक, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश, 105, सुरेखा विल्ला, मिगमानन्दा नगर, लेन-2, बोमीखाल, भुवनेश्वर, ओडिशा-751012	- सदस्य
10.	श्री एस. एस. श्रीवास्तव, आईएफएस, सेवानिवृत्त पीसीसीएफ एवं एचओएफएफ, ओडिशा, फ्लैट नं. बी-031, राहेजा अटलाटिस, सेक्टर – 31, गुड़गांव (हरियाणा) – 122001	- सदस्य
11.	श्री अनिश अंधेरिया (पीएचडी), वन्यजीव संरक्षण न्यास, 11वां तल, मफतलाल सेंटर, नारीमन पोइंट, मुंबई – 400021	- सदस्य
12.	श्रीखगेश्वर नायक, सेवानिवृत्त क्षेत्र निदेशक, कान्हा टायगर रिजर्व, एस.वी. 19, श्रीखेत्र विहार, ऐगिनिया, जिला खुर्दा, भुवनेश्वर, ओडिशा – 751019	- सदस्य
13.	सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य
14.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य
15.	सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय	- सदस्य

16.	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	- सदस्य
17.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	- सदस्य
18.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	- सदस्य
19.	सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	- सदस्य
20.	निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण, पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य
21.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश	- सदस्य
22.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, तेलंगना	- सदस्य
23.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम	- सदस्य
24.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	- सदस्य
25.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, झारखंड	- सदस्य
26.	मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र	- सदस्य
27.	संयुक्त सचिव एवं विधायी सलाहकार, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	- सदस्य
28.	अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	- सदस्य सचिव

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के प्रकार्य :

वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38णके तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियां और प्रकार्य इस प्रकार हैं :

(क) इस अधिनियम की धारा 38र की उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई व्याघ्र संरक्षण योजना को अनुमोदित करना;

(ख) संधारणीय विकास पारिस्थितिकी के विभिन्न पहलुओं का आकलन और मूल्यांकन करना तथा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के भीतर खनन, उद्योग और इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं के लिए पारिस्थितिकी रूप से बेढंग भूमि उपयोग को रोकना;

(ग) समय-समय पर व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रके सुरक्षित और प्रमुख क्षेत्र में व्याघ्र संरक्षण के प्रयोजन सेव्याघ्र परियोजना के लिए दिशा-निर्देश तथा पर्यटन कार्यकलापों के लिए निर्देशात्मक मानक निर्धारित करना तथा उनका विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करना;

(घ) कार्य-योजना संहिता में राष्ट्रीय पार्कों, पक्षी अभ्यारण्यों अथवा टायगर रिजर्व के बाहर वन क्षेत्रों में मानव और वन्यजीव से संबंधित संघर्ष का समाधान करने के प्रबंधन की व्यवस्था करना तथा उपाय सुझाना और इनके सह-अस्तित्व पर विशेष ध्यान देना;

(ङ) भावी संरक्षण योजना,व्याघ्र और इसकी प्राकृतिकभक्ष्य पशु प्रजातियों के आकलन,प्राकृतिक वास प्रस्थिति, बीमारी सर्वेक्षण, मृत्यु सर्वेक्षण, पेट्रोलिंग, अनुचित घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट और भावी संरक्षण योजना के लिए यथा-उपयुक्त अन्य प्रबंधन पहलुओं सहित संरक्षण उपायों के संबंध में सूचना प्रदान करना;

(च) व्याघ्र,सह-परभक्षी, भक्ष्य पशु पर्यावास, सम्बद्ध पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के संबंध में अनुसंधान तथा निगरानी को अनुमोदित, समेकित करना तथा इनका मूल्यांकन करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि टायगर रिजर्व और एक संरक्षित क्षेत्र अथवा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के किसी अन्य संरक्षित क्षेत्र अथवा टायगर रिजर्व को जोड़ने वाले क्षेत्रों कोराष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन तथा व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह से जनहित के अलावा, अन्य किसी बेढ़ंग पारिस्थितिकी उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाता है;

(ज) अनुमोदित प्रबंधन योजनाओं के अनुसार पारि-विकास और जनता की सहभागिता के माध्यम से राज्य में जैव-विविधता संरक्षण पहलों के लिए व्याघ्र संरक्षण प्रबंधन को सुकर बनाना और सहायता प्रदान करना तथा केन्द्र और राज्य कानूनों के अनुसार इनसे संबंधित क्षेत्रों में इसी प्रकार की पहलों के लिए सहायता प्रदान करना;

(झ) व्याघ्र संरक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक, सूचना प्रौद्योगिकी और विधिक सहायता सहित अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(ञ) व्याघ्र आरक्षित क्षेत्रके अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए जारी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को सुकर बनाना; और

(ट) व्याघ्रों और उनके निवास स्थान के संरक्षण के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यथा-आवश्यक अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

’’’’’’

अध्याय-III

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की बैठकें और उन बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण(एनटीसीए) की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त / सारांश इस प्रकार है

(08 मार्च 2019, शुक्रवार, नई दिल्ली)

डॉ.हर्षवर्धन, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की अध्यक्षता में08 मार्च 2019 को महानदी सभागार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की पंद्रहवीं बैठक आयोजित की गयी।

2.इस बैठक के प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-1** में दी गयी है।

3. नव नियुक्त एनटीसीए सदस्यों के परिचय के साथ इस बैठक की शुरूआत हुई।

4. माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं अध्यक्ष, एनटीसीए ने सदस्योंका स्वागत किया और नये सदस्यों के अनुभवों पर प्रकाश डाला जिनसे देश में व्याघ्र संरक्षण को और सुदृढ करने में सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि दुनिया भर में व्याघ्र संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका है, जिसकी एक ओर जहॉ प्रशंसा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व द्वारा इस पर समीक्षात्मक नजर रखी जा रही है।

इस हैसियत को बनाए रखने के लिए उन्होंने नियमित कार्यक्रम से बाहर निकलने और देश में व्याघ्र संरक्षण को और सशक्त करने के लिए नवोन्मेषी विचारों को विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने टिप्पणी की कि रणनीतिक सोच से विचारों को शीघ्र कार्रवाईयों में परिणत किया जा सकेगा जिनके परिणामस्वरूप मौजूदा परिदृश्य में माप योग्य अंतर आएगा।

माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनमंत्री ने कहा कि व्याघ्र संरक्षण निहायत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य क्षेत्र है, जिसमें नई पद्धतियां को विकसित करने का दायरा अपरिमित है। उन्होंने विचार अभिव्यक्त किया कि व्याघ्र संरक्षण भारत की प्रतिष्ठा का मामला है, और इसे सफल बनाने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की।

5. **कार्यसूची मद संख्या 1**

अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव(एनटीसीए) ने देश में व्याघ्र संरक्षण के मार्गदर्शन के लिए एनटीसीए द्वारा उठाए गए नये कदमों के अलावाएनटीसीए के

कार्यकलापों,एनटीसीए की समितियों की भूमिका और उत्तरदायित्वों, अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन के चौथे दौर, 2018 की स्थिति पर एक प्रस्तुति दी।

6. **<u>कार्यसूची मद संख्या 2</u>**

एनटीसीए की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

उपस्थित सदस्यों ने एनटीसीए की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

7. कार्यसूची मद सं. 3

एनटीसीए की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्रवाई

अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव(एनटीसीए) ने समिति को निम्नलिखित कृत कार्रवाईयों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी :-

(i) जैसा कि बैठक में अध्यक्ष द्वारा जोर दिया गया, वर्ष 2017-18 में ''अनुदान सहायता'' और एनटीसीए को व्याघ्र परियोजना के लिए आवंटित बजट का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है।

(ii) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए पर्यवेक्षण दौरों के द्वारा और प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एमईई)तंत्र के माध्यम से एनटीसीए द्वारा जारी की गयी सभी एसओपी और परामर्शी की अनुपालना सुनिश्चित की गयी।

(iii) टायगर रिजर्व के मूल / नाजुक व्याघ्र पर्यावासों से स्वैच्छिक पुनर्वास के लिए पैकेज बढाने हेतु सिफारिश देने के लिए एक समिति गठित की गयी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का अभिसरण भी शामिल है। इस समिति को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) से आदान (इनपुट) प्राप्त हुए हैं, जिसे शामिल करने की प्रक्रिया की जा रही है।

(iv) जहॉ तक व्याघ्र मर्त्यता मामलों को अंतिम रूप देने का संबंध है, वर्तमान विचाराधीनता वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक कुल 554 मामलों का 10 प्रतिशत (55) है।

(v) राज्य स्तर पर स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वासन के साथ योजनाओं के अंत:पुच्छन का पहले से ही एक प्रावधान है।

प्राधिकरण ने यथोक्त कार्रवाई को नोट किया।

8. कार्यसूची मद सं. 4

वर्ष 2017-18 के लिए बजट/व्यय अनुसूचियों का अनुमोदन

क) प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा, प्राप्तियों और भुगतान विवरण तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरणों के प्रारूप की अभिपुष्टि की।

ख) प्राधिकरण को वर्ष 2018-19 के लिए एनटीसीए को 1000.00 लाख रुपए के आवंटन की सूचना दी गयी थी और एनटीसीए को निर्मोचित 900.00 लाख रुपए में से 887.00 लाख रुपए का व्ययकिया गया।

ग) चालू केंद्र प्रायोजित योजना,व्याघ्र परियोजना के तहत प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 34500.00 लाख रुपए के शत् प्रतिशत उपयोग से अवगत कराया गया था।

घ) प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आवंटित 35,000.00 लाख रुपए में से 29,789.05 लाख रुपए की राशि के उपयोग की सूचना दी गयी थी।

ङ) प्राधिकरण ने व्याघ्र परियोजना की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास के लिए टायगर रिजर्व को निर्मोचित निधि को भी नोट किया है, जो इस प्रकार है:

2017-18	15226.00 लाख
2018-19 (दिनांक 8.3.2019 तक)	10650.00 लाख
2018-19	11886.00 लाख

9. कार्यसूची मद सं. 5

सदस्य सचिव - एनटीसीए को शक्तियों का प्रत्यायोजन

क) प्राधिकरण ने सदस्य सचिव (एनटीसीए) को सिविल कार्य पर व्यय करने के लिए 50,000.00 रुपए राशि की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 5,00,000.00 लाख रुपए करने संबंधी शक्तियों के प्रत्यायोजन को अनुमोदित किया।

ख) प्राधिकरण ने सदस्य सचिव (एनटीसीए) को एनटीसीए के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा पर किए जाने वाले व्यय के लिए एनटीसीए ''अनुदान सहायता'' निधि का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया है।

10. कार्यसूची मद सं. 6

एनटीसीए सदस्यों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे विचारार्थ भेजे गए थे :

क) मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू), उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि वन्यजीव - मानव निषेधात्मक अंत:क्रिया को राज्य में मंत्रिमंडल के अनुमोदन से एक प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया था। उन्होंने यह भी सूचित किया कि मुद्रास्फीतिक रुझानों को ध्यान में रखते हुए,स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वासन पैकेज को पिछले कुछ समय से तराई क्षेत्र में जमीन के उच्च मूल्य के आलोक में संशोधित किए जाने की जरूरत है।

उन्होंने प्राधिकरण को इस बात से भी अवगत कराया कि व्याघ्र परियोजना की चालू केंद्र प्रायोजित योजना सीएसएस-पीटी को विश्व भर में संरक्षण के लिए सर्वाधिक सफल परियोजनाओं में से एक के रूप में गिना जाता है और विश्व में इस तरह की शायद ही कोई परियोजना है। वर्ष 2008 में जारी सीएसएस - पीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को निधियन सहायता दो श्रेणियों के अंतर्गत दी गयी थी : 100 प्रतिशत और आवर्ती 50 प्रतिशत

कुछ वर्ष पूर्व इस व्यवस्था को बदल दिया गया था और राज्यों को 40 प्रतिशत का संगत अनुदान जारी करने के लिए कहा गया था। इससे संरक्षण प्रयास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि राज्य स्तर पर बजट आवंटन में अक्सर लोक कल्याण योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है और राज्यों से संगत अनुदान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अत: प्राधिकरण से अनुरोध किया जाता है कि वह कृपया इस मामले की जांच करें और सीएसएस - पीटी के पुराने केंद्र और राज्य हिस्सा अनुपात को बहाल करें।

ख) मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम ने असम के तीन टायगर रिजर्वों, नामत: नामेरि, ओरांग और मानस में काजीरंगाटायगर रिजर्व की तर्ज पर विशेष व्याघ्र सुरक्षा बल (एसटीपीएफ)का गठन करने,उन्हें सशस्त्र करने और उनकी तैनाती करने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा, उन्होंने प्राधिकरण से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वन्य जीव - मानव संघर्ष को एक प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित करने के लिए एक परामर्शिक जारी करने का अनुरोध किया। इस मुद्दे पर अपर महानिदेशक (वन्यजीव) ने सूचित किया कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है।

ग) मुख्य वन्य जीव वार्डन, महाराष्ट्र ने प्राधिकरण को निषेधात्मक बजट वितरण प्रणाली के संबंध में सूचित किया, जिससे निषेधात्मक मानव व्याघ्र अंत:क्रिया का प्रबंधन करने में लाभ हुआ है। उन्होंने सदस्यों को अवगत कराया कि व्याघ्र परियोजना की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत निधियों को जारी करने में विलंब के कारण विशेष व्याघ्र सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) को वेतन देने की समस्या हो रही है, जिसका हल निकाले जाने की जरूरत

है। अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) ने सूचित किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आईएफडी की सहमति प्राप्त करने के लिए सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक है, जिसमें कभी कभी समय लगता है। मुख्य वन्य जीव वार्डन, महाराष्ट्र ने एनटीसीए द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) में दोष का इशारा किया और अनुरोध किया कि हालिया क्षेत्र अनुभवों के आलोक में इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।

घ) संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सूचित किया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और एनटीसीए को सभी राज्यों में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपारिक वन वासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 में यथा प्रतिष्ठापित महत्वपूर्ण वन्य जीव पर्यावास (सीडब्ल्यूएच) की अधिसूचना की स्थिति की निगरानी करने की जरुरत है। इस प्रक्रिया की परिणति तक इसे सतत कार्यसूची के रूप में शुरू किया जा सकता है।

ङ) संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने सुझाव दिया कि प्राधिकरण को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत निषेधात्मक मानव व्याघ्र अंत:क्रिया के कारण हुई क्षति को पूरा करने की संभावना का पता लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सलाह दी कि 15वें वित्त आयोग से परामर्श कर केंद्र प्रायोजित योजना की निधियन व्यवस्था की समीक्षा की जा सकती है।

च) डॉ. अनीश अंधेरिया, ने सुझाव दिया कि व्याघ्र कॉरिडोर क्षेत्रों को टायगर रिजर्वों के पारिस्थितिकीय संवेदनशील प्रक्षेत्र के अंदर होना चाहिए ताकि उनकी अखंडता सुनिश्चित की जा सके। एक उपशमन उपाय के रूप में, उन्होंने सलाह दी कि क्षैतिज अवसंरचना का निर्माण भूमिगत किया जाना चाहिए। उन्होंने टायगर रिजर्वों में और उसके आसपास कीटनाशक के उपयोग को विनियमित करने का मुद्दा उठाया।

प्राधिकरण ने उपर्युक्त मुद्दों को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु नोट कर लिया है।

11. कार्यसूची मद सं. 7

अध्यक्ष की मंजूरी से कोई अन्य विषय।

शून्य

यह बैठक अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) द्वारा सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव देने के साथ संपन्न हुई।

उपस्थित एनटीसीए सदस्य

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**
1	डॉ. हर्षवर्धन	**अध्यक्ष,** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री
2	पी.आर. सिन्हा	**विशेषज्ञ सदस्य**
3	डॉ.इराच भरूचा	**विशेषज्ञ सदस्य**
4	बी.के. पटनायक	**विशेषज्ञ सदस्य**
5	एस.एस. श्रीवास्तव	**विशेषज्ञ सदस्य**
6	डॉ. अनीश अंधेरिया	**विशेषज्ञ सदस्य**
7	डॉ. खगेश्वर नायक	**विशेषज्ञ सदस्य**
8	सिद्धान्त दास	**सदस्य,** वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
9	एम.एस. नेगी	**सदस्य,** निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
10	सुनील पांडे	**सदस्य,** मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तर प्रदेश
11	विनोद कुमार	**सदस्य,** क्षेत्र निदेशक कवाल टायगर रिजर्व, मुख्य वन्यजीव वार्डन, तेलंगाना के प्रतिनिधि
12	डॉ. रंजना गुप्ता	**सदस्य,** मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम
13	पी.के. वर्मा	**सदस्य,** मुख्य वन्यजीव वार्डन, झारखंड
14	नितिन काकोडकर	**सदस्य** , मुख्य वन्यजीव वार्डन, महाराष्ट्र
15	के. बिस्वाल ,	**सदस्य,** संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता, विधि और न्याय मंत्रालय
16	वी. तिवारी	**सदस्य,** संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्यमंत्रालय के प्रतिनिधि
17	ए.के. सिंह,	**सदस्य,** सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के प्रतिनिधि
18	डॉ. संजीव पटजोशी	**सदस्य,** संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव के प्रतिनिधि
19	अनूप कुमार नायक	**सदस्य सचिव,** अपर वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

***अनुपस्थित एनटीसीए* सदस्य**

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डॉ. महेश शर्मा	**उपाध्यक्ष,** राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2	के.सी. राममूर्ति	**सदस्य,** संसद सदस्य (राज्य सभा)
3	राजू शेट्टी	**सदस्य,** संसद सदस्य (लोकसभा)
4	रिक्त	**सदस्य,** संसद सदस्य (लोकसभा)
5	तिष्यरक्षित चटर्जी	**विशेषज्ञ सदस्य**
6	हेमेंद्र कोठारी	**विशेषज्ञ सदस्य**
7	सी.के. मिश्रा	**सदस्य,** सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
8	सचिव	**सदस्य,** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
9	अध्यक्ष	**सदस्य** , राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
10	मुख्य वन्यजीव वार्डन, ओडिशा	**सदस्य**

अन्य उपस्थित सदस्य

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डॉ. एस.पी. यादव	एपीसीसीएफ(यूपी)
2	डॉ. अमित मल्लिक	आईजीएफ (एनटीसीए)
3	निशांत वर्मा	डीआईजीएफ (एनटीसीए)
4	सुरेंद्र मेहरा	डीआईजीएफ (एनटीसीए)
5	डॉ. वैभव सी. माथुर	एआईजीएफ (एनटीसीए)
6	डॉ. राजा राम सिंह	एआईजीएफ (एनटीसीए)

तकनीकी समिति, एनटीसीए की 19 वीं बैठक

अपर महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2018 कोनई दिल्ली में एनटीसीए के सम्मेलन कक्ष में आयोजित एनटीसीए तकनीकी समिति कीउन्नीसवीं बैठक का कार्यवृत्त

इसबैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया था:

1. श्री शाहबाज़ अहमद, पीसीसीएफ (वन्यजीव) / सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, मध्य प्रदेश।
2. श्री विंसेंट रहीम, सीसीएफ और एफडी, संजय डुबरी टायगर रिजर्व, मध्य प्रदेश।
3. श्री मनोज वी. नायर, वैज्ञानिक एफ, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
4. डॉ.धनंजय मोहन, अपर पीसीसीएफ, वन्यजीव, उत्तराखंड।
5. श्री क़मर कुरैशी, वैज्ञानिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
6. श्री विष्णुप्रिया कोलिपकम, वैज्ञानिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
7. श्री ए.के. दास, उप-सचिव, आईएफडी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
8. श्री घनश्याम प्रसाद, क्षेत्र निदेशक, मुकुंदरा हिल्स टायगर रिजर्व, राजस्थान।
9. श्री टी. मोहन राज, डीसीएफ (वन्यजीव), मुकुंदरा हिल्स टायगर रिजर्व, राजस्थान।

दिनांक26.03.2018 को आयोजित एनटीसीए तकनीकी समिति की18 वींबैठकके कार्यवृत्त की पुष्टि

संक्षिप्त विवरण : अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि दिनांक 26.03.2018 को आयोजित एनटीसीए तकनीकी समिति की 18वींबैठक के कार्यवृत्तको पटल पर रखा गया था। उन पर कोई टिप्पणी प्राप्तनहीं हुई थी।

निर्णय: तकनीकी समिति की 18वींबैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 1

टायगर रिजर्व में हाथीआधिक्य आकलन संबंधी प्रस्तावके संबंध में भारतीय वन्यजीव संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण : विस्तृत चर्चा / विचार-विमर्श के बाद समिति ने एनटीसीए परकोई अतिरिक्त लागत भार नहीं डालने और प्रस्तावित कार्यकलापों को पहले से अनुमोदित "अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन, 2018 परियोजना" के भाग के रूप में शुरू करने के अध्यधीन इस प्रस्ताव के सैद्धांतिक अनुमोदन की सिफारिश की।

निर्णय: "सैद्धांतिक रूप से" स्वीकृत।

कार्यसूची मद सं. 2

मुकुंदरा हिल्स टायगर रिजर्व (एमएचटीआर), कोटा, राजस्थान में बाघों को फिर से रखने के प्रस्तावके संबंध में मुख्य वन्यजीव वार्डन, राजस्थान का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

संक्षिप्त विवरण: विस्तृत चर्चा / विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एनटीसीए प्रोटोकॉल, एसओपी और न्यायालय के आदेश (यदि कोई हो) के अनुपालन के अध्यधीन और जंजीर बाड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने तथारेलवे लाइन/सड़कों को छोड़करबाड़ा घेरे पर दीवार बनाने के अध्यधीन एमएचटीआर के दक्षिणी भाग में बाघ को छोड़ने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन पुनरुज्जीवित करने की और चरण- I (दो मादा बाघ) के अनुमोदन की सिफारिश की। इस समिति ने निर्धारित अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए और अगली बैठक में तकनीकी समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस प्रयोजन के लिए पहले से ही गठित समिति (जिसमें एनटीसीए, डब्ल्यूआईआई एवं राज्य वन विभाग अधिकारी शामिल हैं) द्वारा स्थल निरीक्षण की भी सिफारिश की है।

निर्णय: "सैद्धांतिक रूप से" स्वीकृत।

कार्यसूची मद सं. 3

संजय दुबरी टायगर रिजर्व में गौर के पुनर्स्थापन के बाबत मध्यप्रदेश के मुख्य वन्यजीव वार्डन से प्राप्त प्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण : समिति ने एनटीसीए परबिना किसी लागत भार के इस प्रस्ताव की और साथ ही कान्हा टायगर रिजर्वसे बाँधवगढ़ टायगर रिजर्व में किए गए गौरके स्थानान्तरण के पहले के अनुभव का भी उपयोग करने की सिफारिश की।

निर्णय: स्वीकृत।

कार्यसूची मद सं. 4

एनटीसीए द्वारा वित्त पोषित परियोजना "ताडोबा-अंधारी टायगर रिजर्व(टीएटीआर) और इससे जुड़े भू-भाग में बाघों, सह-भक्षियों और भक्ष्य पशु प्रजातियों की मार्च, 2019 तक बिना किसी लागत विस्तार के दीर्घकालिक निगरानी के लिए एवं 5वीं किस्त जारी करने" के संबंध में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून से प्राप्तप्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण: चूंकि यह परियोजना चरण-IV की निगरानी, रेडियो कॉलर बाघों की निगरानी और टीएटीआरके बाहर बाघों की आवाजाही को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैऔर सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, महाराष्ट्र ने पहले ही इसकी सिफारिश कर दी है, इससमिति ने मार्च, 2019 तक बिना किसी लागत वृद्धि के और इसमें और विस्तार नहीं देने की शर्त पर इसकी सिफारिश की।

निर्णय: स्वीकृत।

<u>कार्यसूची मद सं.5</u>

टायगर रिजर्व के बफर और फ्रिंज क्षेत्रों में टाइगर सफारी स्थापित करने के लिए एनटीसीए के दिशा-निर्देशों में संशोधन का प्रस्ताव

संक्षिप्त विवरण : विस्तृत चर्चा / विचार-विमर्श के बाद समिति ने प्रस्ताव को आस्थगित करने और प्रस्तावित संशोधन के संबंध में व्याघ्र रेंज राज्यों के सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / फील्ड निदेशकों से टिप्पणियां लेने का फैसला किया।

निर्णय: आस्थगित।

<u>कार्यसूची मद सं. 6</u>

संजय दुबरी टायगर रिजर्व,मध्यप्रदेश में बाघों की आबादी, भक्ष्य पशु की प्रजातियों और पर्यावास स्थिति की सक्रिय पुन:प्राप्ति रणनीतियों औरदीर्घकालिक निगरानी के संबंध में मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण : समिति ने पशुओं को पट्टा लगाने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने और एनसीएए द्वारा प्रस्तावित बजट को फिर से निर्धारित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के प्रस्ताव की सिफारिश की।

निर्णय: "सैद्धांतिकरूप से" स्वीकृत।

<u>कार्यसूची मद सं.7</u>

भारतीयटायगर रिजर्वों में आगंतुक उपयोग की आयोजना और प्रबंधन विषय पर 8 से 10 अगस्त 2018 के दौरान एक तीन दिवसीय क्षमता निर्माण सह आयोजना कार्यशाला के आयोजन के प्रस्ताव" के संबंध में भारतीयवन्यजीव संस्थान, देहरादून से प्राप्त प्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण : समिति नेटायगर रिजर्वों में अधिक आगंतुक वाले व्याघ्र रेंज राज्यों से प्रतिभागिता की शर्त पर और कार्यशाला को, एनटीसीए के निर्देशात्मक मानकों और दिशानिर्देशों की अनुपालना के लिए रूपरेखा विकसित करने, उसकी योजना बनाने / निगरानी करने के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित रखने की शर्त पर अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिश की, जिसका कुल बजट परिव्यय 7.00 लाख रुपए तक सीमित होगा।

निर्णय: स्वीकृत।

कार्यसूची मद सं. 8

मानव व्याघ्र निषेधात्मक अंत:क्रिया के उपशमन के लिए पी-213 (33) बाघिन (पट्टा लगे) को पन्ना टीआर बफर क्षेत्र से संजय दुबरी टायगर रिजर्व के क्षेत्र में स्थानांतरित करने के संबध में सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, मध्यप्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण : संबंधितटायगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा सक्रिय प्रबंधन से एनटीसीए व्यवहार की एसओपी की अनुपालना के लिए रिपोर्ट की प्रस्तुति के अध्यधीन मानव वन्यजीव संघर्ष के उपशमन के आलोक में कार्योपरांत अनुमोदन के लिए समिति नेइस प्रस्ताव की सिफारिश की।

निर्णय: कार्योपरांतस्वीकृति के लिए अनुशंसित।

कार्यसूची मद सं.9

***कान्हाटायगर रिजर्व से सतुपुड़ा टायगर रिजर्व से बारहसिंगा ले जाने हेतु अनुमति* के संबंध में श्री जितेंद्र अग्रवाल, पीसीसीएफ (वन्यजीव), मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव**

संक्षिप्त विवरण : समिति ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 12 (खख) आदिके तहत संवैधानिक प्रावधानों और शाकभक्षी जीवों के स्थानांतरण के लिए विकसित प्रोटोकॉल की अनुपालना के अध्यधीन अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की सिफारिश की।

निर्णय: स्वीकृत।

कार्यसूची मद सं. 10

टायगर रिजर्व में फ्रंटलाइन की यथास्थितिक्षमता निर्माण के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम से प्राप्त प्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण : समिति के अनुमोदनार्थप्रस्ताव की सिफारिश की, क्योंकि इस प्रस्ताव से"बहु-कार्य कुशल वन रक्षक" की दिशा में लक्ष्य करते हुए टायगर रिजर्व में क्षेत्र संरचनाओं की क्षमता में वृद्धि होगी।

निर्णय: स्वीकृत।

कार्यसूची मद सं. 11

नन्धौर वन्य जीव विहार एवं सुरई वन क्षेत्र को टायगर रिजर्व घोषित किये जाने के संबंधमें पीसीसीएफ(वन्यजीव) औरसीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्ताव

संक्षिप्त विवरण : समिति ने इस प्रस्ताव की सैद्धांतिक मंजूरी हेतुसिफारिश की। समिति ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38फ के प्रावधानों के अनुसार एनटीसीए मूल और बफर क्षेत्र का परिसीमन करते हुए टायगर रिजर्व के गठन के लिए मसौदा अधिसूचना की प्रस्तुत करने के लिए भी सिफारिश की।

निर्णय: "सैद्धांतिक रूप से" स्वीकृत।

कार्यसूची मद सं.12

वन्यजीव अपराध और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए साइबर निगरानी कौशल का उन्नयन करने" की दिशा में वन कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के संबंध में ट्रैफिक इंडिया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ सचिवालय, नई दिल्ली से प्राप्त प्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण : समिति ने एनटीसीए परबिना किसी लागत भार के इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन देने की सिफारिश की है, क्योंकि यह क्षेत्र ज्ञान प्रबंधन, साइबर अपराध और मोबाइल सर्वेक्षण तकनीक इत्यादि के उपयोग के क्षेत्र में वन अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने पर लक्षित है।

निर्णय: "सैद्धांतिकरूप से" स्वीकृत।

एडीजी (व्याघ्र परियोजना) और सदस्य सचिव (एनटीसीए) की अध्यक्षता में एनटीसीए के सम्मेलन कक्ष,नई दिल्लीमें दिनांक28.08.2018 को आयोजित एनटीसीए तकनीकी समिति की बीसवीं बैठक का कार्यवृत्त।

इसबैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1) डॉ. तिष्यरक्षित चटर्जी, पूर्व सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सदस्य, एनटीसीए।
2) श्री रवि सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया और सदस्य, एनटीसीए।
3) डॉ. एस.पी. यादव, अपर पीसीसीएफ एवं सदस्य सचिव (एसजेडए), उत्तर प्रदेश।
4) श्री निशांत वर्मा, उप-महानिरीक्षक, एनटीसीए, मुख्यालय, नई दिल्ली।
5) डॉ. राजा राम सिंह, अपर महानिरीक्षक, एनटीसीए, मुख्यालय, नई दिल्ली
6) डॉ. वैभव सी. माथुर, अपर महानिरीक्षक, एनटीसीए, मुख्यालय, नई दिल्ली।
7) श्री एन. महलिंग, उप-निदेशक, दक्षिणी प्रभाग पलामू टायगर रिजर्व, झारखंड।
8) डॉ. अजय कुमार, ज़ू वेट, बीबीबी पार्क, रांची।
9) श्री एम. सी. बेनीवाल, अवर सचिव (आईएफडी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।

<u>दिनांक 25.06.2018 को आयोजित एनटीसीए तकनीकी समिति की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

संक्षिप्त विवरण : अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि दिनांक25.06.2018 को आयोजित एनटीसीए तकनीकी समिति की 19वींबैठक के कार्यवृत्तको पटल पर रख दिया गया था। सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू,राजस्थान से प्राप्त विसम्मतिनोट की जांच की गई और इसे सिरे से खारिज कर दिया गया क्योंकि जारी किया गया कार्यवृत्त विचार-विमर्श का हिस्सा था जो कियागया था।

निर्णय : परिचालित कार्यवृत्त में सभी सदस्यों के नाम शामिल करने के लिए किए गए गौण संशोधन के अध्यधीन तकनीकी समिति की 19वीं बैठक के कार्यवृत्त की, पुष्टि की गयी थी।

<u>कार्यसूची मद सं. 1:</u>

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (फ)के तहत नुआपाड़ा जिले में सुनबेड़ा टायगर रिजर्वकीघोषणा के संबंध में विशेष सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, ओडिशा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण : नुआपाड़ा जिले में सनबेडा टायगर रिजर्व के गठन के लिए विचारार्थ विस्तृत प्रस्ताव पेश करने के अनुरोध के साथ एनटीसीए कीसैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी। तदुनसार, समिति के विचारार्थ एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। समिति ने अधिसूचना में निम्नवत संशोधन हेतु इस प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया :

क) अधिसूचना के अनुसार क्षेत्र को सुसज्जित करने की आवश्यकता है।

ख) एफआरए के तहत निपटान का विवरण अधिसूचना में रेखांकितकिया जाना चाहिए।

ग) दी गई अनुसूचियों को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

घ) टायगर रिजर्व अधिसूचना की प्रस्तावना जिसमें इसे एक प्रशासनिक आवश्यकता कहा गया है और न कि एक संवैधानिक आवश्यकता है, को वापस लिया जाना चाहिए और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार इसकी पुनर्संरचना की जानी चाहिए।

निर्णय: सुधार के लिए आस्थगित।

<u>कार्यसूची मद सं. 2:</u>

चीतल और सांभर को भगवान बिरसा जैविक उद्यान, रॉची से पलामू टायगर रिजर्व, डाल्टेनगंज में स्थानान्तरित करने के संबंध में पीसीसीएफ और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, झारखंड से प्राप्त प्रस्ताव।

संक्षिप्त विवरण : समिति नेइसप्रस्ताव की सिफारिश नहीं की और टीसीपी में यथा वर्णित यथास्थिति शाकभक्षी आबादी को बढ़ाने की सलाह दी।

निर्णय : अस्वीकृत।

<u>कार्यसूची मद सं. 3:</u>

उत्तर प्रदेश (बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, कुशीनगर जिले) में मानव-वन्यजीव इंटरफेस मुद्दों का हल निकालने के लिएजीटीएफ, नई दिल्ली से प्राप्त प्रस्ताव।
संक्षिप्त विवरण : इस प्रस्ताव को दिनांक 01.09.2017 को आयोजित एनटीसीए की 14वीं बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी थी। विस्तृत प्रस्ताव (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-2022 तक 5 वर्ष) (अतिरिक्त एपीओ) पर समिति द्वारा चर्चा की गई और अनुमोदन हेतु सिफारिश की गई। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एनटीसीएदिशानिर्देशों के अनुसार इसके सूक्ष्म परिष्करण के उपरांत सीएसएस - पीटी के माध्यम से अपेक्षित बजट उपलब्ध करवाया जाएगा।

संक्षिप्त विवरण: यह व्याघ्र/अन्य वन्यजीव प्रजातियों को लाभान्वित करने और साथ ही साथ उस भूभाग पर प्रचालनरत सभी संबंधित हितधारकों (स्थानीय लोग, सरकारी एजेंसियां, निजी कारोबार समूह इत्यादि) को हितलाभ पहुँचाने के लिएएजेंडा सह-घटना को सुदृढ करने के लिए दो चरणों वाला एक प्रस्ताव है।एनटीसीए पर बिना लागत भार के, समवर्ती और अंतिम संकेतक संबद्धअनुमानित आउटपुट / परिणामों को शामिल करने की शर्तों के अध्यधीन इस प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी।

निर्णय : एनटीसीए पर लागत भार के बिना स्वीकृत।

<u>कार्यसूची मद सं. 4:</u>

काजीरंगाटायगर रिजर्व, असम के फ्रिंज गाँवों में संरक्षण और संघर्ष समाधान में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव (3 वर्ष का प्रस्ताव (75.66 लाख रुपये का बजट परिव्यय))

संक्षिप्त विवरण : विचार-विमर्श/चर्चा के बाद , समिति ने अंतिम अनुमोदन के लिए सिफारिश की।
निर्णय: स्वीकृत।

<u>कार्यसूची मद सं. 5:</u>
जंगली जानवरों द्वारा जीवन और फसल / संपत्ति को नुकसान के लिए मुआवजे की वृद्धि का प्रस्ताव।
संक्षिप्त : समिति आईएफडी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तनमंत्रालय से आगे परामर्श के लिए प्रस्ताव कोआस्थगित कर दिया।

निर्णय: आस्थगित।

<u>कार्यसूची मद सं.6:</u>
अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मुद्दा। (क) टायगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) का मुद्दा तकनीकी समिति के सदस्य श्री रवि सिंह द्वारा उठाया गया था।

संक्षिप्त विवरण : समिति को बताया गया कि डब्ल्यूआईआई,देहरादून से सीडीवी अनुसंधान संबंधी एक प्रस्ताव पहलेतकनीकी समिति की बैठक में उठायागया था और अनुमोदित किया गया था। समिति ने भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के वन्यजीव स्वास्थ्य विभाग के वैज्ञानिकों के सह-समन्वय का खंड छोड़ने की सिफारिश की ।

निर्णय: स्वीकृत ।

अध्याय IV

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां

क. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारावर्ष 2018-19 के दौरान गठित समितियों / दलों के विवरण इस प्रकार हैं:-

I फा.सं. 7-3/2018-एनटीसीए दिनांक 05.06.2018 के तहत मुकुंदरा हिल्स टायगर रिजर्व के प्रस्तावित पारि-संवेदनशील क्षेत्र में पड़ने वाले कोटा जिले के रानपुर ग्राम, तहसिल लाडपुरा में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र कुबेर का विस्तार।

डॉ. राजा राम सिंह, सहायक महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय , नई दिल्ली को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन के लिए निर्देशित किया गया था।
स्थल मूल्यांकन के निर्देश और निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यहरिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

II फा.सं. 7-4/2018-एनटीसीए दिनांक 08.06.2018 के तहत मुकुंद्रा हिल्स टायगर रिजर्व से गुजरने वाले कोटा – नागदा खंड के मौजूदा दरार वाले चाप पुल (आर्क ब्रिज) सं. 150 का पुनर्स्थापन।

डॉ. राजा राम सिंह, सहायक महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन के लिए निर्देशित किया गया था।

इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यहरिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

III.फा.सं. 7-10/2018-एनटीसीए दिनांक 12.06.2018 के तहत चिलकालुरिपेटा से कडापा तक 765 केवी दोहरे परिपथ संचरण लाइन (ट्रांसमिशन लाइन) की स्थापना करने के लिए गंगयापल्ली बीट रेंज का कांचेरलामोरम आरएफ,कक्ष सं. 156 और कांचेरलामोरम विस्तार आरएफ में, बडवेल रेंज के जंगामराजुपल्ली बीट के कक्ष सं. 265 एवं 266 की वन भूमि में 27.744 हैक्टेयर भूमि का डायवर्जन।

श्री राजेन्द्र जी गारावाड, सहायक महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था। इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

IV.फा.सं. 7-11/2018-एनटीसीए दिनांक 12.06.2018 के तहत 400 केवी (क्वैड) जिगमेलिंग - अलीपुरद्वार संचरण लाइन के निर्माण के लिए 208.807 हेक्टेयर वन भूमि काडायवर्जन।

श्री निशांत वर्मा, उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन के लिए निर्देशित किया गया था।
इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

V. फा.सं. 7-15/2018-एनटीसीए दिनांक 15.06.2018 के तहत पूर्व में वन्यजीव प्रबंधन प्रभाग नागार्जुनसागर के अमराबाद टायगर रिजर्व के भाग नेलिकार आरएफ में किमी 72/460 से 73/395 (0.935 किमी.) तक रारा - 565 नाक्रेकल - नागार्जुनसागर खंड को एनएचडीपी -IV के तहत पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन के लिए 0.9723 हैक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन।

श्री राजेन्द्र जी गारावाड, सहायक महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था। इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

VI फा.सं.7-18/2019-एनटीसीए दिनांक 02.10.2018 के तहत मुकुंद्रा राष्ट्रीय उद्यान में भैसरोगढ़ - बोराव जल आपूर्ति परियोजना।

श्री निशांत वर्मा, उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन के लिए निर्देशित किया गया था।
इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

VII (1) सुमन नगर गांव में अवस्थित 10.350 हेक्टेयर क्षेत्र जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 6.0 किमी की दूरी पर पड़ता है,से नदी तल सामग्री (आरबीएम) के संग्रह का प्रस्ताव।

(2) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 3.50 किमी की दूरी पर मिसेरपुर गाँव में स्थित 72.208 हेक्टेयर क्षेत्र से नदी तल सामग्री (आरबीएम) संग्रह का प्रस्ताव।

(3) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 6.0 किमी की दूरी पर स्थितज्वालापुर बहरहुद गाँव में 10.350 हेक्टेयर क्षेत्र से नदी तल सामग्री (आरबीएम) संग्रह का प्रस्ताव।

(4) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 2.50 किमी की दूरी पर स्थित डोईवाला, मिस्सरवाला खुर्द, देसवाला, घेसरपडी, फतेहपुर टांडा, मार्खन ग्रांटगाँव में स्थित 135.856 हैक्टेयर से नदी तल सामग्री (आरबीएम) संग्रह का प्रस्ताव।

(5) राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 8 किलोमीटर की दूरी पर बिशनपुर गाँव में स्थित क्षेत्र में 137.45 हेक्टेयर क्षेत्र से नदी तल सामग्री (आरबीएम) एकत्र करने का प्रस्ताव।

(6) फा.सं. 7-20/2018-एनटीसीए दिनांक 3.08.2018 के तहत राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 2.00 किलोमीटर की दूरी पर सलेमपुर मेहदूद गाँव में स्थित 7.702 हैक्टेयर क्षेत्र सेनदी तल सामग्री (आरबीएम) एकत्र करने का प्रस्ताव।

टीम की संरचना इस प्रकार है:

(क) डॉ. बिवाश पांडव, वैज्ञानिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून।
(ख) व्याघ्र प्रकोष्ठ, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के प्रतिनिधि।
(ग) मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तराखंड सरकार , देहरादून सरकार के प्रतिनिधि।

इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- व्याघ्र प्रसार, कॉरिडोर, इसके पर्यावास इत्यादि के सापेक्ष क्षेत्र पर इस प्रस्ताव के प्रभाव का मूल्यनिरूपण और मूल्यांकन करना।

इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 20 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी

VIII. फा.सं. 7-24 / 2018-एनटीसीएदिनांक 31.10.2018 के तहत ग्राम- सोहगरा , जिला- पलामू के पास स्थित12.885 हेक्टेयर की निजी भूमि में सोहगरा ग्रेफाइट का खनन।

श्री डब्ल्यू.लोंग्वा, महानिरीक्षक, एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी को एतद्द्वारा ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन करने के लिए निर्देशित किया गया है।

इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

IX. फा.सं. 7-25/2018-एनटीसीएदिनांक 31.10.2018 के तहत श्रीराम नगर औद्योगिक क्षेत्र, कोटा में डीसीएम श्रीराम, कोटा कॉम्प्लेक्स की सभी यूनिटों के लिए मंजूरी का प्रस्ताव

श्री निशांत वर्मा, उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली को एतद्द्वाराउक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन करनेके लिए निर्देशित किया जाता है।

इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

X. फा.सं. 7-25/2018-एनटीसीएदिनांक 31.10.2018 के तहत धनेश्वर एवं सुतारा ग्रामों, तहसिलऔर जिला बुंदी में अवस्थित मेसर्स कन्हैयालाल रामेश्वर दास द्वारा 80,000 टीपीए से (आरओएम) तक की उत्पादन क्षमता वृद्धि से खनिज बलुआ पत्थर (गौण खनिज) का खनन।

श्री निशांत वर्मा, उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली को एतद्द्वाराउक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन करनेके लिए निर्देशित किया जाता है।

इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 15दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

XI फा.सं.7-29 / 2018-एनटीसीएदिनांक 26.10.2018 के तहत पलामू जिला में 81.75 हेक्टेयर के क्षेत्र में पुरानाडीह ग्रेफाइट खदान के लिए प्रस्ताव।

श्री डब्ल्यू. लोंग्वा, महानिरीक्षक, एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी को एतद्द्वारा ऊपरउल्लिखित प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन के लिए निर्देशित किया गया है।

इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 15दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

XII. फा.सं. 7-30/2018-एनटीसीए दिनांक02.01.2018 के तहत कवल टायगर रिजर्व के केंद्र से मैसामपेट और रामपुर गॉवों को स्थांतरित करने के लिए 112 हैक्टेयर वन भूमि के लिए अधिसूचना रद्दीकरण का प्रस्ताव।

श्री राजेन्द्र जी गारावाड, सहायक वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था। इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

XIII. फा.सं. 7-31/2018-एनटीसीए दिनांक02.01.2018 के तहत कवल टायगर रिजर्व के केंद्र से मैसामपेट और रामपुर गॉवों को स्थांतरित करने के लिए 112 हैक्टेयर वन भूमि के लिए अधिसूचना रद्दीकरण का प्रस्ताव।

श्री राजेन्द्र जी गारावाड, सहायक वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था। इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 10 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

XIV फा.सं.7-4 / 2019-एनटीसीए दिनांक08.01.2019 के तहत मुकांद्रा हिल्स टायगर रिजर्व के प्रस्तावित पारि-संवेदनशील क्षेत्र में पड़ने वाले कोटा जिला के लाडपुरा तहसिल के रानपुर गॉव में अवस्थि त औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार।

डॉ. राजा राम सिंह, अपर महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन के लिए निर्देशित किया गया था।

इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यहरिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 07दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

XV. फा.सं.7-5/2019-एनटीसीए दिनांक 08.01.2019 के तहत ग्राम सतिवाला, कुडकावाला, तेलिवाला एवं खेरी के सुसवा नदी तल, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिला देहरादून, उत्तराखंड से करीब 1.5 किमी की दूरी पर पड़ता है, से रेत, बाजरी और बोल्डर खनन हेतु 55.51 हैक्टेयर भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।

डॉ. राजा राम सिंह, सहायक महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन के लिए निर्देशित किया गया था।

इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यहरिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 07दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

XVI.फा. सं. 7-7/2019-एनटीसीए दिनांक 04.01.2019 के तहत कवल टायगर रिजर्व, केबी के असिफाबाद प्रमंडल के टडोबा और इंद्रावती टायगर रिजर्व को जोड़ने वाले व्याघ्र कॉरिडोर क्षेत्र में पड़ने वाले रारा-363 के मानचेरियल से चंद्रपुर खंड पर किमी 0.000 से किमी 94.602 किमी तक में चार लेन बनाने के लिए असिफाबाद प्रमंडलमें पड़ने वाली 5.7414 हैक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन।

श्री राजेन्द्र जी गारावाड, सहायक वन महानिरीक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु को उक्त प्रस्ताव के संबंध में स्थल मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया था। इस स्थल मूल्यांकन के निर्देश निबंधन इस प्रकार हैं:

- बाघ प्रसार, वितरण और उसके पर्यावास के सापेक्ष क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए और उपशमन उपायों (यदि कोई हो) की व्यवहार्यता का सुझाव देने के लिए स्थलमूल्यांकन करना।

यह रिपोर्ट इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 07दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।

*****

अध्याय V
प्रशासनिक मामले

सदस्यसचिव को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की अवस्थापना में 15 नियमित और 39 संविदा आधारित प्रशासनिक कार्मिक हैं। भारतीय वन सेवा के ओडिशा संवर्ग के अधिकारीडॉ. अनुपकुमार नायक ने 18 अप्रैल 2018से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यसचिव का कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की कार्यालय अवस्थापना से संबंधित पदों और पदधारियों (2018-19) का ब्यौराइस प्रकार है:

अप्रैल 2018 - मार्च 2019

क्र. सं.	पद का नाम	पदधारी का नाम	पे बैंड / वेतन(रु.)
स्थाई आधार पर			
<u>मुख्यालय</u>			
1.	सदस्य सचिव	डॉ.अनुप कुमार नायक	एचएजी + वेतनमान रुपये. 75,500 - 80000/- (संशोधन पूर्व)
2.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	डॉ. अमित मल्लिक	पीबी -4 (ग्रेड पे रु.10,000 /-)
3.	उप महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री निशांत वर्मा	पीबी -4 (ग्रेड पे रु.10,000/-)
4.	उप महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री सुरेन्द्र मेहरा	पीबी -4 (ग्रेड पे रु.10,000/-)
5.	उप महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री संजय कुमार (दिनांक 02.07.2018 तक)	पीबी -4 (ग्रेड पे रु.10,000/-)
6.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	डॉ. वैभव सी. माथुर	पीबी -3 (ग्रेड पे रु.76,00/-)
7.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	डॉ. राजा राम सिंह	पीबी -3 (ग्रेड पे रु.76,00/-)
8.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	रिक्त	पीबी - 4 (ग्रेड पे रु.87,00/-)
9.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए - मुख्यालय)	रिक्त	पीबी -4 (ग्रेड पे रु.8,700/-)
10.	उप निदेशक (वित्त) (एनटीसीए - मुख्यालय)	श्री विनय कुमार शर्मा	पीबी -3 (ग्रेड पे रु.6,600 / -)
11.	निजी सचिव	रिक्त	पीबी -2 (ग्रेड पे रु.4,800 /)
12.	अनुभाग अधिकारी	रिक्त	पीबी -2 (ग्रेड पे रु.4,800/-)

13.	सहायक	रिक्त	पीबी -2 (ग्रेड पे रु. 4,600/-)
14.	स्टाफ कार चालक	रिक्त	पीबी -1 (ग्रेड पे रु.2,800/-)
15.	चौकीदार	श्री मदन सिंह	पीबी -1 (ग्रेड पे रु.2,400/-)
16.	चौकीदार	श्री सुरेश पंडित	पीबी -1 (ग्रेड पे रु.2,400/-)
17.	एमटीएस	श्री मौला राम	पीबी -1 (ग्रेड पे रु.2,400/-)
	क्षेत्रीय कार्यालय (गुवाहाटी)		
18.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	श्री डब्ल्यू.लौंग्वा	पीबी -4 (ग्रेड पे रु.10,000 / -)
19.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	रिक्त	पीबी -4 (ग्रेड पे रु.8,700/-)
	क्षेत्रीय कार्यालय (नागपुर)		
20.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	रिक्त	पीबी -4 (ग्रेड पे रु.10,000/-)
21.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	श्री हेमंत कामदी भास्कर	पीबी -4 (ग्रेड पे रु.7,600/-)
	क्षेत्रीय कार्यालय (बैंगलोर)		
22.	वन महानिरीक्षक (एनटीसीए) बंगलौर	श्री पीएस सोमशेखर	पीबी -4 (ग्रेड पे रु.10,000/-)
23.	सहायक महानिरीक्षक (एनटीसीए) क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर	श्री राजेंद्र गरवाड़	पीबी -3 (ग्रेड पे रु.8,900/-)
आउटसोर्स आधार पर (मुख्यालय)			
1.	वित्त अधिकारी	श्री सी. एम. बख्शी	रुपये 44451/ -
2.	परामर्शदाता	श्री आर. के. कटारिया	रुपये 44451/ -
3.	अनुभाग अधिकारी	श्री बी.एस. नन्धरा	रुपये 26,620/ -
4.	लेखाकार	श्री एस. एन. धौलाखंडी	रुपये 33,338 / -
5.	डाटा विश्लेषक	कुंदन कुमार	रुपये 35,400/-
6.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	सुश्री शीतल बिष्ट	रुपये 33,338 / -
7.	डाटा इंट्री ऑपरेटर	सुश्री स्वाति कश्यप	रुपये. 19800 / -
8.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	श्री ख़ुशी राम	रुपये 20205 / -
9.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	श्री धीरेंद्र कुमार पांडे	रुपये 18,462 / -
10.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	सुश्री आरती	रुपये 16,962 / -
11.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	श्री भरत गोविल	रुपये 16,468 / -
12.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	सुश्री मोनिका	रुपये 18,658 / -
13.	डाटा एंट्री असिस्टेंट	श्री अंकित कुमार	रुपये 18,462 / -
14.	कार्यालय सहायक	श्री लक्ष्मण सिंह	रुपये 28,708 / -
15.	कार्यालय सहायक	श्री मुकेश कुमार	रुपये 28,708 / -
16.	डिस्पैचर	सुश्री राधा	रुपये 28,708 / -
17.	ड्राइवर	श्री अकबर	रुपये 20,374 / -

18	ड्राइवर	श्री बरुण कुमार विश्वास	रुपये 18,522 / -
19	संदेशवाहक	श्री शिव सिंह	रुपये 20,205 / -
20	ऑफिस ब्वॉय	श्री दीपक सिंह	रुपये 16,454 / -
21	डाटा एंट्री असिस्टेंट	श्री राहुल भंडारी	रुपये 16,962 / -
22	एमटीएस	श्री राजिन्दर	रुपये 14,598 /
23	सफाई कर्मचारी	श्री राहुल	रुपये 14000 / -
आउटसोर्स आधार पर (क्षेत्रीय कार्यालय)			
1.	जीवविज्ञानी, एनटीसीए गुवाहाटी, क्षेत्रीय कार्यालय	श्री कमल आजाद (छोटी अवधि के लिए)	रुपये 42,094 / -
2.	वन्यजीव जीवविज्ञानी	सुश्री अगथा मोमिन	रुपये 28,000/-
3.	डाटा एंट्री असिस्टेंट गुवाहाटी, क्षेत्रीय कार्यालय	श्री जीतुमणि महंत,	रुपये 16,962 / -
4.	चपरासी गुवाहाटी, क्षेत्रीय कार्यालय	श्री अमर दोर्जी,	रुपये 14,000 / -
5.	लेखाकार, गुवाहाटी, क्षेत्रीय कार्यालय	सुश्री दूरदर्शिनी	रुपये 23,572 / -
6.	चौकीदार, गुवाहाटी, क्षेत्रीय कार्यालय	श्री माइकल कुमार राभा	रुपये 14,000 /
7.	कार्यालय सहायक नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय	धर्मेंद्र गौतम	रुपये 16,468 / -
8.	चपरासी नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय	श्री योगेश जी. सकरडे,	रुपये 14,000/ -
9.	डाटा एंट्री असिस्टेंट नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय	श्री कृनाल रमेश	रुपये 16,962/ -
10.	सुरक्षा कर्मी नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय	श्री राहुल खडसे	रुपये 12,269 / -
11.	डाटा इंट्री ऑपरेटर बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय	श्री राजूशेट्टी के.एल.	रुपये 21,780 / -
12.	रात्रि सुरक्षा प्रहरी बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय	श्री प्रशांत चौधरी	रुपये 12,269 / -
13.	चपरासी बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय	श्री अनिल डेका	रुपये 14,000/ -
14.	चपरासी बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय	श्री बिमल डेका	रुपये 12,269 / -
15.	चपरासी(बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय)	श्री सुनील बोरदोलोइ	रुपये 14,000/ -
16.	सुरक्षा प्रहरी(बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय)	श्री धनज्योति डेका	रुपये 14,000/ -
17.	सुरक्षा प्रहरी(बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय)	श्री धीरज श्रवण राउत	रुपये 14,000/ -

व्याघ्र और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से भारत सरकार द्वारा की गई उल्लेखनीयपहल

विधिक उपाय

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड 38 IV ख के तहत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और खण्ड 38 IV ग के तहत व्याघ्र और अन्य विलुप्त होती प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन करने हेतु समर्थकारी प्रावधान शामिल करने के लिए वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।
2. किसी टायगर रिजर्व के मूल क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा टायगर रिजर्व में आखेट करने से संबंधित अपराध अथवा टायगर रिजर्व की सीमाओं में परिवर्तन करने इत्यादि से संबंधित अपराध में दिए जाने वाले दण्ड में वृद्धि की गई है।
3. 15 अक्तूबर, 2012 को वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 कीधारा 380 1(ग) केतहत व्याघ्र परियोजना एवं टायगर रिजर्वों में पर्यटन संबंधी व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए।

प्रशासनिक उपाय

4. अन्य बातों के साथ-साथ टायगर रिजर्व प्रबंधन में निर्देशात्मक मानकों को सुनिश्चित करके,आरक्षित क्षेत्र विनि र्दिष्ट व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार कर, संसद को वार्षिक/लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन कर और व्याघ्र संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना कर व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 4 सितम्बर, 2006 को राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) का गठन किया गया।

5. वन्य जीवों के अवैध व्यापार को कारगर ढंग से रोकने के लिए 6 जून, 2007 को बहु-विषयक व्याघ्र और अन्य विलुप्त हो रही प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया।

6. संचार और बेतार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के अलावा स्थानीय जनता को शामिल करके कार्यबल गठित करने,टायगर रिजर्व वाले राज्यों की ओर से पूर्व-सैनिक कार्मिकों अथवा होमगार्ड्स को शामिल करके व्याघ्र आखेट रोधी दस्ते को तैनात करने के लिए यथा-प्रस्तावित वित्तीय सहायता प्रदान करके मानसून के मौसम में गश्त की विशेष कार्यनीति सहित व्याघ्र आखेट रोधी कार्यकलापों को सुदृढ़ किया गया है।

7. राष्ट्रीयव्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण ने सैद्धांतिक रूप से नए टायगर रिजर्वों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, और ये स्थान हैं:सुनाबेदा (ओडिशा),नंधौर(उत्तराखंड) और गुरू घासीदास (छत्तीसगढ़) है। राज्य सरकारों को निम्नलिखित क्षेत्रों को टायगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है : (i) म्हादेई वन्य जीव अभ्यारण्य (गोवा)(ii) श्रीविल्लीपुथुर ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वैरल/मेगामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य/वर्शुनादु घाटी (तमिलनाडु), (iii) दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य (अरूणाचल प्रदेश) (iv) कावेरी-एम.एम. हिल्सवन्य जीवअभ्यारण्य(कर्नाटक) और (v) नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य (उत्तराखंड)

8. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तरांखंड), ओरांग राष्ट्रीय उद्यान (असम) एवं कामलांग वन्य जीव अभ्यारण्य (अरुणाचल प्रदेश) को क्रमश: 48वें, 49वें और 50वें टायगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है।

9. व्याघ्र संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को संशोधित व्याघ्र परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चालू कार्यकलापों के अतिरिक्त टायगर रिजर्व के मुख्य अथवा नाजुक व्याघ्र पर्यावास में रहने वाले व्यक्तियों के लिए बढ़ा हुआ ग्राम पुनर्स्थापन या पुनर्वास पैकेज (1 लाख रूपए प्रति परिवार से लेकर 10 लाख रूपए प्रति परिवार तक) के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता, परम्परागत आखेट में संलिप्त समुदायों का पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापना,टायगर रिजर्व के बाहर मुख्य धारा मेंजीवन-यापन और वन्यजीव सरोकार और प्राकृत्वास विखण्डन को रोकने के लिए पुन: बहाली कार्यनीति के माध्यम से कोरिडोर संरक्षण का पोषण करना शामिल है।

10. व्याघ्र का आकलन करने के लिए (सह-परभक्षी, भक्ष्य पशुऔर प्राकृत्वास प्रस्थिति के मूल्यांकन सहित) वैज्ञानिक पद्धति विकसितकी गई है तथा इसे मुख्यधारा में शामिल किया गया है। इस आकलन और मूल्यांकन के निष्कर्षों को भावी व्याघ्र संरक्षण कार्यनीतियों के लिए बेंचमार्क बनाया गया है।

11. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड 38फ के तहत 18 व्याघ्र राज्यों ने देश के सभी 50 टायगर रिजर्वों के मूल / नाजुक व्याघ्र प्राकृत्वास (40,145.30वर्ग कि.मी.) और बफर/उपांत क्षेत्र (32,603.72 वर्ग कि.मी.) को अधिसूचित कर दिया है।

12. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर, बेंगलुरु और गुवाहाटी में कार्यात्मक हो गए हैं, जो वन महानिरीक्षक के नेतृत्व में कार्य कर रहें हैं, हालांकि, महानिरीक्षक, एनटीसीए, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पद रिक्त है।

<u>वित्तीय उपाय</u>

13. वन्यजीवों के प्रभावी संरक्षण की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को उनकी क्षमता और अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए **''व्याघ्र परियोजना''** और **''एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास**'' जैसी विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

<u>अंतर्राष्ट्रीय सहयोग</u>

14. भारत का चीन के साथ व्याघ्र संरक्षण के संबंध में संलेख के अतिरिक्त वन्यजीव के सीमापार अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल के साथ द्विपक्षीय समझौता है।द्विपक्षीय भारत – नेपाल सीमापारीय बैठक 24-25 सितम्बर 2017 को काठमांडु, नेपाल में आयोजित की गयी थी। इस बैठक में वन और मृदा संरक्षण मंत्रालय, नेपाल सरकार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के बीच जैवविविधता संरक्षण विषय पर एक मसौदा समझौता ज्ञापन पर विस्तार से चर्चा की गयी और परस्पर सहमति से मसौदा को अंतिम रूप दिया गया।

15. सुन्दरबन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बंग्लादेश के साथ सितम्बर, 2011 में एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

16. रूसी संघ के साथ सहयोग हेतु व्याघ्र और तेंदुआसंरक्षण के लिए एक उप-समूह गठित किया गया है।

17. भारत व्याघ्र संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करने के लिए व्याघ्र क्षेत्र देशों के वैश्विक व्याघ्र मंच का संस्थापक-सदस्य है।

18. हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित सी.आई.टी.ई.एस. के पक्षकारों के सम्मेलन की 14वीं बैठक के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी संघ के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक स्तर पर व्याघ्र प्रजनन अभियान चलाने वाले पक्षकारों को इस प्रकार की अधिकतम सीमा को उस स्तर तक सीमित रखने का निर्देश देने का उल्लेख किया गया जो वन्य व्याघ्र के संरक्षण मेंसहायक हो। कुछ संशोधन के साथ इस संकल्प को निर्णय के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त भारत ने चीन से व्याघ्र फार्मिंग को बंद करने और एशियाई बड़े बिलाव प्रजातियों के शरीर के अंगों का संचय करने तथा कृत्रिम प्रजनन को रोकने की अपील की। व्याघ्र के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक को जारी रखने के महत्व पर जोर दिया गया।

19. वन्य प्राणी समूह और वनस्पति की विलुप्त हो रही प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में सम्मेलन की स्थाई समिति (सी.आई.टी.ई.एस.) की 23 से 27 जुलाई, 2012 तक जेनेवा में आयोजित की गई 62वीं बैठक के दौरान भारत के जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर वन्य प्राणी समूह और वनस्पति की विलुप्त हो रही प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सम्मेलन सचिवालय ने अधिसूचना, संख्या 2012/054 दिनांक 3 सितम्बर, 2012 जारीकी,जिसकेमाध्यम से पक्षकारों को निर्णय संख्या 14.69 पूर्णत: कार्यान्वित करने और दिनांक 25 सितम्बर, 2012 तक सचिवालय को सूचित करने के लिए (व्याघ्रों के बंदी प्रजनन कार्यकलाप को सीमित करने के बारे में की गई प्रगतिइत्यादि) कहा।

20. **तृतीय एशिया मंत्रालयी सम्मेलन (3 ए एम सी) का आयोजन 12-14 अप्रैल, 2016 के दौरान नई दिल्ली में किया गयाथा। इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन कि "व्याघ्रों का संरक्षण विकल्प नहीं है, अपितु यह एक अनिवार्यता है' से प्रेरित होकर वर्ष 2022 तक जंगलों में व्याघ्रों और उनके पर्यावासों का संरक्षण सुनिश्चित करने के ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिये व्याघ्र रेंजराष्ट्रों (टीआरसी) के सरकारी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया किः**

- वैश्विक व्याघ्रपुन: प्राप्ति कार्यक्रम (जीटीआरपी) / राष्ट्रीय व्याघ्रपुन : प्राप्ति कार्यक्रम (एनटीआरपी) और ऊपर उल्लिखित घोषणाओं से सहमत कार्रवाइयों के **कार्यान्वयन में तेजी लायेंगे**, प्राथमिकता और विभेदी करणवाली कार्य योजना ओं की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें अद्यतन करें गे और पारस्परिक और सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के माध्यम से प्रगति पर नजर रखेंगे।

- व्याघ्र संरक्षण के सरोकारों को मुख्य धारा में लाने के लिये विकास कार्य नीतियों के पुनर्भि विन्यास द्वारा पारस्परिक संपूरक रीति से **विकास और व्याघ्र संरक्षण को साथ-साथ** लेकर चलेंगे, जैसे कि भूदृश्य स्तर पर अवसंरचना में व्याघ्र और वन्य जीवसु रक्षोपाय एकीकरण, व्यापारी

समूहों के साथ सहभागिता विकसित करना तथा स्थानीय हित धारकों के साथ मजबूत सहलग्नता।

- टीआरसी सरकारों के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, संघों, सिविलसोसाइटी संगठनों, निजी क्षेत्र और जलवायु निधियों से **निधियन और तकनीकी सहायता का इस्तेमाल करेंगे**।
- **व्याघ्र पर्यावासों को पारि प्रणाली सेवाएं प्रदान करने, आर्थिक विकास तथा जलवायु परिवर्तन का निराकरण करने में सहायता प्रदान करने वाले इंजन के रूप में प्रचारित करके** इनके महत्व को मान्यता देंगे और इनका संवर्धन करेंगे।
- व्याघ्रों को पुन र्स्थापित करने तथा उनके पर्यावासों और भक्ष्य पशु को पुनर्वासित करने संबंधी सफल कार्यक्रमों का उपयोग करते हुये **कम व्याघ्र घनत्व वाले क्षेत्रों में व्याघ्रों की संख्या की पुन र्बहाली करेंगे** तथा ऐसे क्षेत्रों में पुरानी स्थिति बहाल करेंगे, जहांपर येबिल्कुल खत्म हो चुके हैं।
- वन्यजीव अपराध को कमकरने, व्याघ्र उत्पादों की मांग का निराकरण करने तथा औप चारिक और अनौपचारि क सीमापारीय समन्वय में वृद्धि करने हेतु **सरकार के उच्चतम स्तरों पर सहयोग को सुदृढ़ करेंगे।**
- **सभी हितधारकों के लिए ज्ञान साझाकरण में वृद्धि करेंगे तथा क्षमता निर्माण में संवर्धन करेंगे** और स्मार्ट उपकरणों, निगरानी प्रोटोकॉल्स और सूचना प्रणालियों सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ायेंगे।

22. एडीजी (पीटी) और एम एस (एनटीसीए) ने दिनांक 01-05 अक्तूबर 2018 तक की अवधि के दौरान साइटेस की स्थायी समिति की 10वीं बैठक में प्रतियोगिता की। उनके द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय निम्नवत हैं :

क. कार्यसूची सं. 45 : यूरो पीय बिड़ालों के संबंध में सचिवालय रिपोर्ट : कार्य दल में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में, उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में विशेष रूप से दक्षिण – पश्चिमी हिंद महासागर में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ बनाने का मुद्दा उठाया।

ख. कार्यसूची सं. 42: अभिज्ञात नियम पुस्तिका और बाघ की खालों को अभिज्ञात करने के संबंध में सचिवालय रिपोर्ट : उन्होंने सभी बाघ बहुल (रेंज) राज्यों को बाघों की जब्ती के ब्यौरों को एनटीसीए, भारत सरकारके साथ साझा करने पर जोर दिया ताकि उनके स्रोत क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और बाद की संबद्धता स्थापित की जा सके।

ग. कार्यसूची सं. 51 : एशियाई बड़े बिडालों के संबंध में सचिवालय रिपोर्ट : उन्होंने सचिवालय की रिपोर्ट का समर्थन कर रहे बाघ बहुल (रेंज) राज्यों पर संकल्प सम्मेलन 12.5 और निर्णय 14.69 के अनुसार बाघ की खालों और उनके शरीर के हिस्सों का व्यापार प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल उपाय अपनाने पर जोर दिया।

23.भूटान, भारत और नेपाल की उच्च तुंगता पारि-प्रणाली में व्याघ्र पर्यावासों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जीटीएफ द्वारा उच्च तुंगता व्याघ्र परिदृश्य परियोजना विकसित की गयी है।

इस परियोजना का लक्ष्य भूटान, भारत और नेपाल के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में व्याघ्र परिदृश्य संरक्षण की प्रोफाइल बनाना है, जहॉ से इतिहास में और हाल में व्याघ्र उपस्थिति की सूचना मिली है। इस परियोजना के अंतर्गत परिकल्पित परिणाम / आउटपुट और गतिविधियां इस प्रकार हैं :

परिणाम 1: उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में व्याघ्र पर्यावासों के लिए संरक्षण के प्रयास बढ़ाने के साक्ष्य उपलब्ध।

<u>आउटपुट</u>

(क)उच्च पर्वतीय पारिप्रणालियों में बाघ, सह-परभक्षी,भक्ष्य पशु की उपस्थिति में बाघ / सह-परभक्षी और शाकभक्षी स्थानिक उपयोग स्वरूप ज्ञात हो गयाहै।

(ख) उच्च पर्वतीय वयाघ्र पर्यावासों में मानव केन्द्रित भूमि उपयोग पैटर्न की पहचान कर ली गयी है।

<u>कार्यकलाप</u>

1. बाघ, सह-परभक्षी, और भक्ष्य पशु की उपस्थिति का चित्रण करते हुए उच्च पर्वतीय पर्यावासों की पहचान करते हुए द्वितीयक आंकड़ा संग्रहण
2. प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने और परभक्षी,भक्ष्य पशु और पर्यावास प्रस्थिति पर विश्लेषण करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण

परिणाम 2 : उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य वन्यजीव / व्याघ्र कॉरिडोर की पहचान की गयी

<u>आउटपुट</u>

(क) कॉरिडोर और पर्यावास संबद्धताओं का खाका खींचा गया है।

(ख) पर्यावास में भू उपयोग परिवर्तनों को एक समय – स्थान पैमाने पर पहचान की गयी है।

कार्यकलाप

1. अत्या धुनिक जीआईएस तकनीकों का उपयोग करते हुए पारिप्रणाली के साथ पर्यावास संबद्धता और अस्थायी पर्यावासों के साथ संपर्क का मानचित्रण
2. प्राकृतिक और उत्प्रेरित आच्छादन, भूमि उपयोग पैटर्न और परिवर्तन संसूचन सहित संपर्कता की वर्तमान स्थिति निर्धारित करने के लिए स्थानिक और कालिक विश्लेषण करना

एनटीसीए ने इस परियोजना के लिए भारत से संबंधित कार्यकलापों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की है और वह समन्वयन कर रहा है। इस परियोजना के लिए, अप्रैल, 2018 माह में थिंपु, भूटान में परामर्शक कार्यशाला आयोजित की गयी थी और 27 अप्रैल 2018 और 28 दिसंबर, 2018 को डब्ल्यूआईआई, देहरादून में परामर्शक सम्मेलन / साझीदारों / हितधारकों की टीओटी आयोजित किए गए थे।

<u>अन्यविविधउपाय</u>

24.**विशेष व्याघ्र संरक्षण बल का सृजन (एस.टी.पी.एफ.)** : चालूकेन्द्र प्रायोजित स्कीम व्याघ्र परियोजना के तहत 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से प्रारंभ में चयनित 13 टायगर रिजर्वों में से कर्नाटक (बांदीपुर), महाराष्ट्र(पेंच और तदोबा-अंधेरी, नवेगॉव-नागजिरा), राजस्थान (रणथम्भौर) और ओडिशा (सिमिलिपाल) राज्यों में विशेष व्याघ्र संरक्षण बल (एस.टी.पी.एफ.) को सक्रिय किया गया है।

25.ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से **ऑनलाइन व्याघ्र मर्त्यता डाटाबेस** शुरू किया गया है और आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जो अति महत्वपूर्ण व्याघ्र संरक्षण योजना में अवैध भक्ष्य पशु रणनीतियों के लिए आधार बनते है।

26. व्याघ्र राज्यों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के क्रियान्वयन को व्याघ्र संरक्षण पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए निधि प्रवाह से जोड़ दिया गया है।

27.प्रभावी क्षेत्र गश्त और निगरानी के लिए 'व्याघ्र निगरानी प्रणाली-गहन संरक्षण औरपारिस्थितिकी प्रस्थिति' (एम-स्ट्राइप्स) शुरू करने के अलावा अवसंरचना और क्षेत्र संरक्षण को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। एम-स्ट्राइप्स अनुप्रयोग को तीन विशिष्ट मॉड्यूलों अर्थात गश्त, पारिस्थितिकी और संघर्ष के साथ एंड्रॉयड आधारित बनाया गया है।

28.प्रोत्साहन प्रदान करनेकेअलावाक्षेत्रीय पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से क्षेत्रडिलिवरी में सुधार करने की पहल की गई है।

29. सरिस्का एवं पन्ना टायगर रिजर्वों, जहॉ व्याघ्र स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं, के पुनर्निर्माण के लिएसक्रिय प्रबंधन के भाग के रूप में बाघ एवं बाघिनों को पुनः छोड़ा गया है। पन्ना (मध्य प्रदेश) में वन्य बाघों का सफलतापूर्वक पुनर्स्थापनविश्व में अपने तरह की पहली एवं अनूठी घटना है। पुनर्स्थापित बाघिनें प्रजनन कर रही है। पन्ना (मध्य प्रदेश) में व्याघ्रोंकी पुनर्स्थापना पहल बहुत सफल रही है।

30. **अखिल भारतीय व्याघ्र, सह-भक्षी और भक्ष्य आकलन,2014** :- राष्ट्र स्तरीय व्याघ्रप्रस्थिति मूल्यांकन का तीसरा चक्र वर्ष 2014 में पूरा किया गया है जिसमें वर्ष 2006 के आकलन के अनुमानित 1411 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश:1165 और 1657), वर्ष 2010 के आकलन में अनुमानित 1706 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश:1520 और 1909) की तुलना में वर्ष 2014 के आकलन में अनुमानित 2226 (निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: 1945 और 2491) के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। विश्व के 13 व्याघ्र क्षेत्र देशों में से इस समय भारत में लगभग 70 प्रतिशत व्याघ्रआबादी और इसका स्रोत क्षेत्र है तथा ऐसा व्याघ्र परियोजना के माध्यम से इस प्रजाति का लम्बे समय से संरक्षण किए जाने के कारण (देश का 2.21 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र 18 राज्यों के 50टायगर रिजर्वों में फैला हुआ है) संभव हो पाया है।

31. **प्रबंधन प्रभाविता मूल्यांकन (एमईई) :** वर्ष 2013-14 में 43 टायगर रिजर्वोंके लिए संशोधित मानदण्ड के आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकन के तीसरे चक्र को शामिल करके जनवरी 2015 में टायगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एम.ई.ई.) से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। इन 43आरक्षित क्षेत्रों में से 17 को 'बहुत अच्छा' 16 को 'अच्छा' और 10 को 'साधारण' श्रेणी के तहत रखा गया।

32. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव - व्याघ्र संघर्ष के उपशमन के लिए विशेष सहायता प्रदान करना

33. अखिल भारतीय व्याघ्र आकलन 2018

बाघों, सह-भक्षियों और भक्ष्यपशु का प्रत्येक चार वर्षों पर राष्ट्रीय स्तर पर स्नैपशॉट मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन भारतीय वन्य जीव संस्थान और व्याघ्र राज्यों के सहयोग से द्विघात नमूनाकरण की परिष्कृत कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए किया गया

है, जिसमें अन्य राष्ट्रीय संरक्षण गैर सरकारी संगठन साझीदार के रूप में शामिल थे। राष्ट्र स्तरीय व्याघ्र प्रस्थिति मूल्यांकन का चौथा दौर प्रगति पर है और जल्दी ही जारी किया जाएगा।

34. टायगर रिजर्वों का प्रबंधन प्रभाविता मूल्यांकन (एमईईटीआर) 2018

हमारी स्थितियों के अनुकूल आईयूसीएन मापदंडों पर आधारित टायगर रिजर्वों का चार वर्षों में एक बार स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। एमईई का चौथा दौर प्रगति पर है और दल निष्कर्षों के विश्लेषण को अंतिम रूप दिया जाएगा और शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा। पचास (50) टायगर रिजर्वों का फील्ड मूल्यांकन कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

35. 10 टायगर रिजर्वों के **आर्थिक मूल्यांकन का दूसरा चरण**जो कई पारिप्रणाली सेवाएं प्रदान करने के अलावा, जलवायु परिवर्तन उपशमन में टायगर रिजर्वों द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर प्रकाश डालता है, को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसकी रिपोर्ट जल्दी ही जारी की जाएगी।

36. **चुनिंदा टायगर रिजर्व भू-दृश्य में यूएवी की तैनाती**

'**व्याघ्र संरक्षण के लिए ई-बर्ड प्रौद्योगिकी**नामक परियोजना:**व्याघ्रों के संरक्षण और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के क्षमता वर्द्धन के लिए सर्वेक्षण और निगरानी उपकरण के रूप में मानवरहित हवाई यानों का विकास और एकीकरण**'नामक परियोजना चल रही है और यूएवी उपकरण का प्रथम समूह पन्ना टायगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को सौंप दिया गया है। एक प्रशिक्षक ड्रोन का विनिर्माण किया गया है और कर्मचारियों का क्षमता निर्माण सुगम करने के लिए एक प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया गया है।

मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)

37. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्यों के पदाधिकारियों तथा विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, व्याघ्र परियोजना / राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सलाह के आधार पर व्याघ्र की मौतों से निपटने के लिए एक'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गयी है, जिसको वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए परिष्कृत किया गया है।

38. मानव बहुल भू-दृश्य में घूमने वाले बाघों से निपटने के लिए 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।

39. व्याघ्र / तेंदुआ के शव / शरीर के भागों का निपटारा करने की एक'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।

40.टायगर रिजर्व में वृद्ध/चोटिल बाघों और पिंजडे में रखे गए/छोड़े गए व्याघ्र शावकों से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए एक 'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।

41. पशुधन पर व्याघ्र कारित विनाश से निपटने के लिए एक'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।

42. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा ऐसे टायगर रिजर्वजिनकी सीमाएं परस्पर सटी हैं, उनके मध्य अंतरराज्यीय समन्वयन हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रियाविधि जारी की है।

43. भू-दृश्य स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से व्याघ्र के पुनर्वास के सक्रिय प्रबंधन के लिए एक'मानक प्रचालन प्रक्रियाविधि' जारी की गई है।

44. टायगर रिजर्व स्तरीय चरण-IV, कैमरा निगरानी का उपयोग करके व्याघ्र की सतत् निगरानी करना और अलग-अलग व्याघ्र के फोटो लेकर डाटा सृजन, संस्थागत किया गया है।

45. अलग-अलग व्याघ्र की कैमरा निगरानी फोटो आई.डी. का राष्ट्रीय संग्रह तैयार कर लिया गया है।

46. भटक जाने वाले व्याघ्रों से निपटने के प्रयोजन से फील्ड अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए फील्ड स्तरीय कार्यशाला।

47. कार्बेट टायगर रिजर्व (उत्तराखण्ड) में ई-निगरानी परियोजना पूरी करने के उपरांत काजीरंगा टायगर रिजर्व (असम)और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य (मध्य प्रदेश) के सीमावर्ती क्षेत्र में 24X7 ई-निगरानी की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सहायता (100 प्रतिशत) प्रदान की गई है।

48. भारतीय वन प्रबंध संस्थान के सहयोग से **छह टायगर रिजर्वों का आर्थिक मूल्यांकन**किया गया है। इसी प्रकार का कार्य 10 और टायगर रिजर्वों के लिए किया गया है, जिसकी आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट को एनटीसीए द्वारा वित्तपोषित परियोजना के परिणाम स्वरूप आईआईएफएम, भोपाल द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है।

49. भारतीय वन्य जीव संस्थान के सहयोग से पन्ना टायगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) में निगरानी के लिए मानव रहित हवाई यान का परीक्षण किया गया एवं अब इसका विस्तार अन्य 13 टायगर रिजर्वों में किया जा रहा है। फ्रंटलाइन कर्मचारियों का क्षमता निर्माण किया गया है और पन्ना टायगर रिजर्व को प्रथम उपकरण समूह सौंप दिया गया है।

50. भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से शिवालिक-गंगा मैदानी भू-दृश्य केटायगर रिजर्वों में और उसके आसपास वन आच्छादन में प्रस्थिति, घनत्व और परिवर्तन का मूल्यांकन किया गया है।

51. सुंदरबन में व्याघ्र प्रस्थिति के मूल्यांकन पर बांग्लादेश की एक संयुक्त रिपोर्ट लायी गयी है।

52. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने टायगर रिजर्वों में एक ऑनलाइन व्याघ्र / वन्य जीव अपराध ट्रैकिंग / रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की है।

53. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर, एनटीसीए की सुरक्षा संपरीक्षा फ्रेमवर्क को सभी टायगर रिजर्वों में क्रियान्वित करने के लिए विधिमान्य किया गया है। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से 25 टायगर रिजर्वों के सुरक्षा प्रोटोकॉल का मूल्यांकन किया गया है।

54. टायगर रिजर्वों के बाहर व्याघ्रबहुल क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने के लिए, सीए।टीएस (आश्वस्त संरक्षण| व्याघ्र मानक) ढांचे का उपयोग किया जा रहा है, जो ऐसे क्षेत्रों में प्रबंधन मध्यवर्तनों में अपर्याप्तता की पहचान करने में मदद करता है ताकि उपयुक्तरणनीतियों के माध्यम से इन कमियों को दूर किया जा सके।

55. प्रचालन की वार्षिक योजना की प्रस्तुति के लिए ऑनलाइन पोर्टल को परिचालनगत कर दिया गया है।

56. नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ एक उप-महाद्वीपीय स्तर की व्याघ्र आकलन रिपोर्ट लाने के लिए एक पहल की गई है।

57. उच्च तृंगता भू-दृश्य में व्याघ्रों के अधिभोग का आकलन करने के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ एक सहयोगात्मक परियोजना शुरू की गयी है।

58.**टायगर रिजर्वों की सुरक्षा संपरीक्षा**

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 2006 में यथा संशोधित) के अनुसार, भारत में प्रत्येक टीआर से एक व्याघ्र संरक्षण योजना तैयार करना अपेक्षित होती है, जिसमें "संरक्षण" एक प्रमुख घटक होता है। एनटीसीए ने आरक्षित क्षेत्र विशिष्ट सुरक्षा योजनाओं (एसपी) के लिए सामान्य दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जो टीसीपी केभाग हैं। एनटीसीए की सुरक्षा योजना प्रोटोकॉल दो टायगर रिजर्वों, अर्थात् मध्य प्रदेश में - कान्हा और ओडिशा में सतकोसिया टायगर रिजर्व में जीटीएफ दल द्वारा किए गए प्रोटोकॉल सत्यापन प्रक्रिया पर आधारित हैं। वर्ष 2018-19 में इस प्रयोजन के लिए गठित चार स्वतंत्र दलों द्वारा 25 टायगर रिजर्वोंकी सुरक्षा संपरीक्षा कराई गयी थी, उनके निष्कर्षों का प्रलेखन कार्य प्रगति पर है।

59. **वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम** :

- वर्ष 2018-19 की अवधि में, संरक्षण साझीदारों के साथ एनटीसीए ने विश्व व्याघ्र दिवस मनाया। इस सिलसिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो 25 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में शुरू हुआ, 27 जुलाई 2018 को इंदिरा पर्यावरण भवन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और 29 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसके तहत आयोजित गतिविधियां इस प्रकार हैं :

तिथि	विवरण	स्थान	टिप्पणियां
25 जुलाई, 2018	चित्रकला प्रतियोगिता कविता / कहानी लेखन प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	राष्ट्रीय प्राणि उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर), नई दिल्ली	कक्षा छठी से ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गयी (कुल 212 छात्रों ने प्रतिभागिता की)
27 जुलाई, 2018	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम	गंगा सभागार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली	इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों द्वारा स्किट और व्याघ्र गीत प्रस्तुति, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के उद्घोष, प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों का अभिनंदन और माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली का

			संबोधन शामिल था।
29 जुलाई, 2018	आगंतुकों को संवेदनशील बनाने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन	राष्ट्रीय प्राणि उद्यान (दिल्ली चिड़ियाघर), नई दिल्ली	बाघ संरक्षण के महत्व पर आगंतुकोंको संवेदीकृत करने के लिएएक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया।

- एनटीसीए द्वारा बाघ बहुल राज्यो के फील्ड निदेशकों और मुख्य वन्यजीव वार्डनों की कई क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई**,** ए आई टी ई**, 2018** पर दिनांक 04.05.18 को एनटीसीए मुख्यालय**,** नई दिल्ली में और दिनांक 15.05.2018 को एनटीसीए**,** क्षेत्रीय कार्यालय**,** गुवाहाटी में ध्यान केन्द्रित किया गया।
- 12 जून 2018 को बेंगलुरु में दक्षिणी क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक और 14-15 सितम्बर**, 2018** को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गयीं।
- दिनांक 19 नवम्बर 2018 को एनटीसीए द्वारा बाघ बहुल राज्यों के क्षेत्रीय निदेशकों और मुख्य वन्यजीव वार्डनों की बैठक आयोजित की गई**;** अखिल भारतीय बाघ आकलन**, 2018** की स्थिति की समीक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन :

(लाख रुपये में**)**

शीर्ष	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
एनटीसीए	650.00	1000.00	1000.00
सीएसएस (पीटी)	36500.00	34500.00	35000.00
कुल	37150.00	35500.00	36000.00

****

अध्याय VI

एनटीसीए

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के वित्त वर्ष 2018-19 के वित्त और लेखे

क्र. सं.	प्राप्तियां	राशि	भुगतान	राशि
1.	अग्रदाय राशि :	1,00,000 / -	व्यय	9,99,83,647/-
2.	बैंक शेष : (i) जमा खाता (ii) बचत बैंक खाता	 1,84,16,242/ - 15,30,852 / -	परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सम्मेलनों के लिए निधि	17,14,726 / -
3.	प्राप्त ब्याज	12,85,342 / -	अचल आस्तियों पर व्यय	8,37,867/ -
4.	अग्रिम की वसूली	1,09,23,810/ -	निर्गत प्रतिभूति जमा	6,684 / -
5.	प्रतिभूति जमा राशि	2,000 / -	वसूली योग्यअग्रिम	20,49,168 / -
6.	एनटीसीए को अनुदान सहायता	9,86,73,952/ -	अग्रिम	1,20,000 / -
7.	बिक्री राशि आस्तियां	5,019	बैंक शेष :- जमा खाता	---
8.	विविध प्राप्तियां	1,880	बैंक राशि:- बचत खाता	74,49,460 / -
9.	--	--	भारत सरकार को आधिक्य राशि की वापसी	1,87,77,545/-
	कुल	**13,09,39,097/-**	**कुल**	**13,09,39,097/-**

कृपया नीचे देखें : विवरण अनुलग्नक (vi) में हैं।

****

अध्याय VII

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की वार्षिक योजना

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा गठित किए गए कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन करने के लिए अलग से एक अध्याय (अध्याय IVख) जोड़ने हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है।4 सितंबर 2006 से उक्त प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है।

2. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण के तहत एन.टी.सी.ए. के प्रकार्यतय किए गए है। एन.टी.सी.ए. पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और विलुप्त हो रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए सुदृढ़ सांस्थानिक तंत्र की व्यवस्था करने के अतिरिक्त टायगर रिजर्वों के संरक्षण को सांविधिक आधार प्रदान करके व्याघ्र संरक्षण से संबंधित पारिस्थितिकीय और प्रशासनिक सरोकारों का समाधान करेगा। प्राधिकरण पिछला बेहतर रिकार्ड रखने वाले सक्षम और प्रशिक्षित अधिकारियों को टायगर रिजर्वों के क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त करने के अतिरिक्त व्याघ्र संरक्षण के दिशानिर्देशों को लागू करना तथा इनके अनुपालन की निगरानी को भी सुनिश्चित करेगा। यह समयबद्ध कर्मचारी विकास योजना के अतिरिक्त टायगर रिजर्वों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करेगा।

3. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एन.टी.सी.ए. को सहायता-अनुदान के रूप में 1,000.00 लाख रूपए की राशि प्रदान की गई है।

4. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वर्ष 2006 में किए गए संशोधन को दिनांक 04.09.2006 से प्रवृत्त किए जाने के परिणामस्वरूप इस अधिनियम की धारा 38 ढ के तहत समर्थकारी प्रावधानों के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना क्षमता पर वहन किए जा रहे और व्याघ्र परियोजना में कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को एन.टी.सी.ए. को अंतरित किया गया है।

5. एन.टी.सी.ए. मुख्यालय और इसके नागपुर, गुवाहाटी और बंगलौर क्षेत्रीय कार्यालयों में संस्वीकृत पदों का ब्यौरा इस प्रकार है :

<u>एन.टी.सी.ए. मुख्यालय</u>

क्र.सं.	**पद का नाम**	**पदों की संख्या**
1.	सहायक वन महानिदेशक वन (व्याघ्र परियोजना) और सदस्य-सचिव (एन.टी.सी.ए.)	1
2.	वनमहानिरीक्षक	1
3.	वनउप-महानिरीक्षक	2
4.	सहायक वन महानिरीक्षक,	4
5.	उप-निदेशक (वित्त)	1
	कुल	**9**

<u>एन.टी.सी.ए. क्षेत्रीय कार्यालय (नागपुर, गुवाहाटी और बंगलौर)</u>

क्र.सं.	**पद का नाम**	**पदों की संख्या**
1.	वनमहानिरीक्षक	3
2.	सहायकवनमहानिरीक्षक,	3
	कुल	**6**

6. वर्ष 2006 में यथा-संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38थ के तहत एन.टी.सी.ए. के लिए अनुदान/ऋण इत्यादि जमा करने के लिए व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निधि नामक निधि तैयार करने की व्यवस्था की गई है।

7. धारा 63 (छiv) और (छv) में उक्त वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के क्रमश: धारा 38द और 38ध के तहत एन.टी.सी.ए. के लेखाओं के वार्षिक विवरण तथा इसकी वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से संबंधित नियमों की व्यवस्था की गई है।

8. एन.टी.सी.ए. की तकनीकी समिति इसकी निधियन सहायता से संविदा आधारित सेवाओं/व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित प्रस्तावों को अनुमोदित करता है। निदेशक (आई.एफ.डी.) इस समिति के सदस्य होते हैं। किसी अपरिहार्य परिस्थिति में यदि एन.टी.सी.ए. की तकनीकी समिति की बैठक में आई.एफ.डी. का कोई प्रतिनिधि नहीं हो तो प्रस्तावों को बहुमत निर्णय के आधार पर अनुमोदित किया जाता हैऔर उक्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से निर्णय के बारे में आई.एफ.डी. को अवगत करायाजाता है।

9. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) के वर्ष 2018-19 के लेखाओं को संकलित कर लिया गया है। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ड. (5) और (6) के साथ पठित सी. एण्ड ए.जी. (दायित्व, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1972 की धारा 19(2) के तहत सी.ए.जी. के प्रधान लेखा परीक्षक, विज्ञान विभाग ने एन.टी.सी.ए. के लेखाओं की अंतिम लेखापरीक्षा की थी। प्राप्तियों और भुगतान लेखाओं तथा दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूची सहित आय और व्यय लेखाओं तथा तुलनपत्र के साथ वर्ष 2018-19 के लेखाओं की प्रति **अनुलग्नक - (iv) से (xix)**के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, विज्ञान विभाग, सी.ए.जी. द्वारा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक -(xx)**में दी गई है।

***

अध्याय VIII

(दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार)

अनुपालना संबंधी मुद्दे

1. व्याघ्र संरक्षण योजना (दिनांक 31.3.2019की स्थिति के अनुसार)

वन्य जीव (संरक्षण)अधिनियम की धारा **38** ण के अंतर्गत राष्ट्रीयव्याघ्रसंरक्षण प्राधिकरण, राज्यों द्वारा तैयारकी गईव्याघ्रसंरक्षण योजनाओं कोअनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत है। राज्यों से प्राप्तव्याघ्रसंरक्षण योजनाओं काविवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत टीसीपी	टीसीपी स्वीकृत नहीं
1	आंध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर-श्रीशैलम	
2	अरुणाचल प्रदेश	नमदाफा	
3	अरुणाचल प्रदेश	पाक्के	
4	अरुणाचल प्रदेश		कामलांग
5	असम		मानस
6	असम	नामेरी	
7	असम		काजीरंगा
8	असम		ओरंग
9	बिहार	वाल्मीकि	
10	छत्तीसगढ़	उदांति - सीतानदी	
11	छत्तीसगढ़	अचानकमार	
12	छत्तीसगढ़		इंद्रावती
13	झारखंड	पलामू	
14	कर्नाटक	बांदीपुर	
15	कर्नाटक	भद्रा	
16	कर्नाटक	डंडेली – अनशी	
17	कर्नाटक	नागरहोल	
18	कर्नाटक	बीआरटी	
19	केरल	पेरियार	
20	केरल	परम्बिकुलम	
21	मध्य प्रदेश	कान्हा	
22	मध्य प्रदेश	पेंच	
23	मध्य प्रदेश		बांधवगढ़
24	मध्य प्रदेश		पन्ना
25	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा	
26	मध्य प्रदेश		संजय - डुबरी

27	महाराष्ट्र	मेलघाट	
28	महाराष्ट्र	तदोबा - अंधारी	
29	महाराष्ट्र	पेंच	
30	महाराष्ट्र	सह्याद्री	
31	महाराष्ट्र		नवेगॉव – नागजिरा
32	महाराष्ट्र		बोर
33	मिजोरम	डमपा	
34	ओडिशा	सिमलीपाल	
35	ओडिशा	सतकोसिया	
36	राजस्थान		रणथम्भोर
37	राजस्थान	सरिस्का	
38	राजस्थान		मुकुंदरा हिल्स
39	तमिलनाडु	कालाकड – मुनडनथुरई	
40	तमिलनाडु	मुदुमलई	
41	तमिलनाडु		सत्यमंगलम
42	तमिलनाडु	अनामलाई	
43	तेलंगाना	कवल	
44	तेलंगाना	अम्ब्राबाद	
45	उत्तर प्रदेश	दुधवा	
46	उत्तर प्रदेश		पीलीभीत
47	उत्तराखंड	कॉर्बेट	
48	उत्तराखंड		राजाजी
49	पश्चिम बंगाल	सुंदरबन	
50	पश्चिम बंगाल	बुक्सा	

2. संचालन समिति (दिनांक 31. 3. 2019की स्थिति के अनुसार) :

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38 प के तहत, राज्यों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन करना आवश्यक है। संबंधित विवरण नीचे दिएगए है :

क्र.सं.	राज्य	संचालनसमिति
1.	आंध्रप्रदेश	गठित
2.	छत्तीसगढ़	गठित
3.	मिजोरम	गठित
4.	कर्नाटक	गठित
5.	मध्यप्रदेश	गठित
6.	महाराष्ट्र	गठित
7.	उत्तरप्रदेश	गठित
8.	तमिलनाडु	गठित
9.	ओडिशा	गठित
10.	केरल	गठित
11.	राजस्थान	गठित
12.	पश्चिमबंगाल	गठित
13.	बिहार	गठित
14.	असम	गठित
15.	अरूणाचलप्रदेश	गठित
16.	उत्तराखंड	गठित
17.	झारखंड	गठित
18.	तेलंगना	गठित

इन संचालन समितियों की नियमित बैठकें सनिश्चित करने के लिए इस प्राधिकरण के द्वारा राज्यों के साथ पत्राचार किया जाता है।

3. व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन (दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 भके तहत, राज्यों को अपने प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने और सहायता करने के लिए टायगर रिजर्वहेतुबाघ संरक्षण फाउंडेशन का गठन करना आवश्यक है। बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**टायगर रिजर्व / राज्य**
1.	पाक्के व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, अरुणाचल प्रदेश
2.	नामदफा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, अरुणाचल प्रदेश
3.	डम्पा व्याघ्र संरक्षण फ़ाउंडेशन, ट्वीखुआहत्लंग, मिज़ोरम
4.	आंध्र प्रदेश व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, आंध्र प्रदेश (नागार्जुनसागर श्रीशैलम टीआर के लिए)
5.	बांदीपुर व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, कर्नाटक
6.	भद्रा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, कर्नाटक
7.	डंडेली अंशी व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, कर्नाटक
8.	कालकाकद मुंडनथुराई व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तमिलनाडु
9.	मुदुमलाई व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तमिलनाडु, उधगमंडलम।
10.	अनामलाई व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तमिलनाडु
11.	मध्य प्रदेश (कान्हा, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़ और संजय-डुबरी)
12.	बक्सा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन ट्रस्ट, पश्चिम बंगाल
13.	सुंदरबन व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन ट्रस्ट, पश्चिम बंगाल
14.	मानस व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, असम
15.	काजीरंगा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, असम
16.	नामेरी व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, असम
17.	अचनकमार व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, छत्तीसगढ़
18.	उदंती-सीतानदी व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, छत्तीसगढ़
19.	तडोबा अंधारी टायगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन, महाराष्ट्र
20.	इंद्रावती व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, छत्तीसगढ़
21.	रणथंभौर व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, राजस्थान
22.	सरिस्का व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, अलवर, राजस्थान
23.	कॉर्बेट व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, उत्तराखंड
24.	पेंच व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, महाराष्ट्र
25.	मेलघाट टायगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन, महाराष्ट्र
26.	सिमिलिपाल व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, ओडिशा

27.	सतकोसिया टायगर रिजर्व, उड़ीसा
28.	नागरहोल टायगर रिजर्व, कर्नाटक
29.	पेरियार फाउंडेशन, पेरियार टायगर रिजर्व, केरल
30.	पराम्बिकुलम टायगर रिजर्व, केरल
31.	वाल्मीकि व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, बिहार
32.	बीआरटी व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, कर्नाटक
33.	सह्याद्री टायगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन, कोहलापुर, महाराष्ट्र
34.	पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, झारखंड
35.	बोर व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, महाराष्ट्र
36.	नावेगांव-नागझिरा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, महाराष्ट्र
37.	कवाल व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तेलंगाना
38.	अमराबाद व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तेलंगाना
39.	सत्यमंगलम व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, तमिलनाडु
40.	मुकुंद्रा हिल्स व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, कोटा, राजस्थान
41.	दुधवा व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश

लंबित टीसीएफ : -

1.पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)

2. राजाजी टीआर (उत्तराखंड)

3. ओरंग टीआर (असम)

4. कामलांग टीआर (अरुणाचल प्रदेश)

4. मुख्य और बफर अधिसूचना (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) :

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38फ के तहत, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों द्वारा मुख्य और बफर अधिसूचना की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निर्माण का वर्ष	टायगर रिजर्व का नाम	राज्य	मुख्य / नाजुक व्याघ्र आवास क्षेत्र (वर्ग किमी में)	बफर / परिधीय क्षेत्र (वर्ग किमी में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)
1	1973-1974	बांदीपुर	कर्नाटक	872.24	584.06	1456.3
2	1973-1974	कॉर्बेट	उत्तराखंड	821.99	466.32	1288.31
		अमानगढ़ (कॉर्बेट टीआर का बफर)	उत्तर प्रदेश	-	80.60	80.60
3	1973-1974	कान्हा	मध्य प्रदेश	917.43	1134.361	2051.791
4	1973-1974	मानस	असम	526.22	2310.88	2837.10
5	1973-1974	मेलघाट	महाराष्ट्र	1500.49	1268.03	2768.52
6	1973-1974	पलामू	झारखंड	414.08	715.85	1129.93
7	1973-1974	रणथंभौर	राजस्थान	1113.364	297.9265	1411.291
8	1973-1974	सिमलीपाल	ओडिशा	1194.75	1555.25	2750.00
9	1973-1974	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	1699.62	885.27	2584.89
10	1978-1979	पेरियार	केरल	881.00	44.00	925.00
11	1978-1979	सरिस्का	राजस्थान	881.1124	332.23	1213.342
12	1982-1983	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	390.5813	367.3225	757.9038
13	1982-1983	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	1258.37	1540.70	2799.07
14	1982-1983	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	1807.82	245.00	2052.82
15	1987-1988	दुधवा	उत्तर प्रदेश	1093.79	1107.9848	2201.7748
16	1988-1989	कालाकड – मुंडनथुरई	तमिलनाडु	895.00	706.542	1601.542
17	1989-1990	वाल्मीकि	बिहार	598.45	300.93	899.38
18	1992-1993	पेंच	मध्य प्रदेश	411.33	768.30225	1179.63225
19	1993-1994	तदोबा-अंधारी	महाराष्ट्र	625.82	1101.7711	1727.5911
20	1993-1994	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	716.903	820.03509	1536.938
21	1994-1995	पन्ना	मध्य प्रदेश	576.13	1021.97	1598.10
22	1994-1995	डमपा	मिजोरम	500.00	488.00	988.00
23	1998-1999	भद्रा	कर्नाटक	492.46	571.83	1064.29

24	1998-1999	पेंच	महाराष्ट्र	257.26	483.96	741.22
25	1999-2000	पक्के	अरुणाचल प्रदेश	683.45	515.00	1198.45
26	1999-2000	नामेरी	असम	320.00	144.00	464.00
27	1999-2000	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	1339.264	794.04397	2133.30797
28	2008-2009	अनामलाई	तमिलनाडु	958.59	521.28	1479.87
29	2008-2009	उदांति – सीतानदी	छत्तीसगढ़	851.09	991.45	1842.54
30	2008-2009	सतकोसिया	ओडिशा	523.61	440.26	963.87
31	2008-2009	काजीरंगा	असम	625.58	548.00	1173.58
32	2008-2009	अचानकमार	छत्तीसगढ़	626.195	287.822	914.017
33	2008-2009	डंडेली अनशी	कर्नाटक	814.884	282.63	1097.514
34	2008-2009	संजय - डुबरी	मध्य प्रदेश	812.571	861.931	1674.502
35	2008-2009	मुदुमलई	तमिलनाडु	321.00	367.59	688.59
36	2008-2009	नागरहोले	कर्नाटक	643.35	562.41	1205.76
37	2008-2009	परम्बिकुलम	केरल	390.89	252.772	643.662
38	2009-2010	सह्याद्री	महाराष्ट्र	600.12	565.45	1165.57
39	2010-2011	बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक	359.10	215.72	574.82
40	2012-2013	कवल	तेलंगाना	892.23	1123.212	2015.44
41	2013-2014	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	793.49	614.91	1408.40
42	2013-2014	मुकंदरा हिल्स	राजस्थान	417.17	342.82	759.99
43	2013-2014	नवेगॉव – नाजिरा	महाराष्ट्र	653.674	1241.27	653.674
44	1982-1983	नागार्जुनसागर श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश	2595.72	700.59	3296.31
45	2014	अमराबाद	तेलंगाना	2166.37	445.02	2611.39
46	2014	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	602.7980	127.4518	730.2498
47	2014	बोर	महाराष्ट्र	138.12	678.15	816.27
48	2015	राजाजी	उत्तराखंड	819.54	255.63	1075.17
49	2016 (24.02.2016)	ओरंग	असम	79.28	413.18	492.46
50	2016 (08.09.2016)	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	671.00	112.00	783.00
		कुल		**40145.30**	**32603.72**	**72749.02**

*****

अध्याय - IX

अनुलग्नक

अनुलग्नक (i) से (xx)

अनुलग्नक - (i)

भारत में टायगर रिजर्वों की सूची

क्र.सं.	टायगर रिजर्व	राज्य
1	नागार्जुन सागर	आंध्र प्रदेश
2	नामधापा	अरुणाचल प्रदेश
3	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश
4	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश
5	काजीरंगा	असम
6	मानस	असम
7	नामेरी	असम
8	ओरंग	असम
9	वाल्मीकि	बिहार
10	अचानकमार	छत्तीसगढ़
11	इंद्रावती	छत्तीसगढ़
12	उदांती सीतानदी	छत्तीसगढ़
13	पलामू	झारखंड
14	बांदीपुर	कर्नाटक
15	भद्रा	कर्नाटक
16	डंडेली अंशी	कर्नाटक
17	नागरहोल	कर्नाटक
18	बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक
19	पेरियार	केरल
20	परमबी कुलम	केरल
21	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश
22	कान्हा	मध्य प्रदेश
23	पन्ना	मध्य प्रदेश

24	पेंच	मध्य प्रदेश
25	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश
26	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश
27	मेलघाट	महाराष्ट्र
28	पेंच	महाराष्ट्र
29	तदोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र
30	सह्याद्री	महाराष्ट्र
31	नावेगांव – नागजीरा	महाराष्ट्र
32	बोर	महाराष्ट्र
33	डमपा	मिजोरम
34	सतकोसिया	ओडिशा
35	सिमलीपाल	ओडिशा
36	रणथम्भोर	राजस्थान
37	सरिस्का	राजस्थान
38	मुकन्द्रा	राजस्थान
39	कालाकाड– मुंडानथुरइ	तमिलनाडु
40	मुदुमलई	तमिलनाडु
41	अनामलाई	तमिलनाडु
42	सत्यमंगलम	तमिलनाडु
43	कवल	तेलंगाना
44	अमराबाद	तेलंगाना
45	राजाजी	उत्तराखंड
46	कॉर्बेट	उत्तराखंड
47	दुधवा	पश्चिम बंगाल
48	पीलीभीत	पश्चिम बंगाल
49	बुक्सा	उत्तर प्रदेश
50	सुंदरबन	उत्तर प्रदेश

अनुलग्नक - (ii)

टायगर रिजर्व के अंदर व्याघ्रों की मृत्यु (प्राकृतिक और अन्य कारण)

(अप्रैल 2018 से मार्च, 2019 तक)

(राज्यों द्वारा यथा सूचित)

टायगर रिजर्व के अंदर (दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक)

क्रम सं.	तिथि	माह	वर्ष	राज्य	टायगर रिजर्व
1	6	अप्रैल	2018	मध्य प्रदेश	कान्हा टायगर रिजर्व
2	9	अप्रैल	2018	महाराष्ट्र	मेलघाट टायगर रिजर्व
3	11	अप्रैल	2018	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत टायगर रिजर्व
4	18	अप्रैल	2018	राजस्थान	रणथंभौर टायगर रिजर्व
5	18	अप्रैल	2018	राजस्थान	रणथंभौर टायगर रिजर्व
6	18	अप्रैल	2018	मध्य प्रदेश	कान्हा टायगर रिजर्व
7	19	अप्रैल	2018	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत टायगर रिजर्व
8	25	अप्रैल	2018	तमिलनाडु	मुदुमलाई टायगर रिजर्व
9	29	अप्रैल	2018	उत्तराखंड	कॉर्बेट टायगर रिजर्व
10	1	मई	2018	कर्नाटक	नागरहोल टायगर रिजर्व
11	2	मई	2018	मध्य प्रदेश	कान्हा टायगर रिजर्व
12	5	मई	2018	उत्तराखंड	कॉर्बेट टायगर रिजर्व
13	20	मई	2018	महाराष्ट्र	पेंच टायगर रिजर्व
14	31	मई	2018	उत्तराखंड	कॉर्बेट टायगर रिजर्व
15	22	जून	2018	तमिलनाडु	मुदुमलाई टायगर रिजर्व
16	28	जून	2018	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़
17	7	अगस्त	2018	मध्य प्रदेश	कान्हा टायगर रिजर्व
18	17	अगस्त	2018	केरल	पेरियार टायगर रिजर्व
19	29	अगस्त	2018	केरल	पेरियार टायगर रिजर्व
20	27	अक्तूबर	2018	राजस्थान	सरिस्का टायगररिजर्व(सुलोचना रेंज)
21	5	नवंबर	2018	उत्तर प्रदेश	दुधवा टायगर रिजर्व
22	14	नवंबर	2018	ओडिशा	सतकोसिया टायगर रिजर्व
23	21	नवंबर	2018	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रेंज
24	21	नवंबर	2018	मध्य प्रदेश	कान्हा टाइगर रेंज

25	22	नवंबर	2018	कर्नाटक	नागरहोल टायगर रिजर्व
26	22	नवंबर	2018	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़ टायगर रिजर्व
27	23	नवंबर	2018	कर्नाटक	बांदीपुर टायगर रिजर्व
28	8	दिसंबर	2018	महाराष्ट्र	तदोबा-अंधारी
29	9	दिसंबर	2018	राजस्थान	सरिस्का
30	10	दिसंबर	2018	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़
31	17	दिसंबर	2018	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़
32	23	दिसंबर	2018	मध्य प्रदेश	बांधवगढ़
33	3	जनवरी	2019	महाराष्ट्र	पेंच टायगर रिजर्व
34	5	जनवरी	2019	मध्य प्रदेश	कान्हा टायगर रिजर्व
35	19	जनवरी	2019	मध्य प्रदेश	कान्हा टायगर रिजर्व (दादर बीट)
36	19	जनवरी	2019	केरल	पेरियार टायगर रिजर्व
37	20	जनवरी	2019	उत्तराखंड	कॉर्बेट टायगर रिजर्व (रिंगोदा बफर)
38	31	जनवरी	2019	राजस्थान	रणथंभौर टायगर रिजर्व
39	6	फरवरी	2019	तमिलनाडु	सत्यमंगलम टायगर रिजर्व (पात्रा मंगलम बीट)
40	11	फरवरी	2019	मध्य प्रदेश	सतपुड़ा टायगर रिजर्व (पचमढ़ी रेंज)
41	13	फरवरी	2019	असम	काजीरंगा टायगर रिजर्व (बागोरी रेंज)
42	22	फरवरी	2019	कर्नाटक	भद्रा टायगर रिजर्व
43	26	फरवरी	2019	मध्य प्रदेश	कन्हेरी बीट, कान्हा टायगर रिजर्व
44	26	फरवरी	2019	मध्य प्रदेश	कन्हेरी बीट, कान्हा टायगर रिजर्व
45	28	फरवरी	2019	मध्य प्रदेश	पेंच टायगर रिजर्व
46	3	मार्च	2019	महाराष्ट्र	मेलघाट टायगर रिजर्व (अकोट बफर)
47	4	मार्च	2019	उत्तराखंड	कॉर्बेट टायगर रिजर्व, सोनानदी रेंज, कक्ष क्र.6
48	6	मार्च	2019	महाराष्ट्र	पेंच टायगर रिजर्व (खुरसपार)
49	6	मार्च	2019	मध्य प्रदेश	पेंच टायगर रिजर्व (खवासा)
50	17	मार्च	2019	कर्नाटक	नागरहोल टायगर रिजर्व
51	22	मार्च	2019	मध्य प्रदेश	कान्हा टायगर रिजर्व
52	24	मार्च	2019	कर्नाटक	नागरहोल टायगर रिजर्व
53	28	मार्च	2019	तमिलनाडु	मुदुमलाई टायगर रिजर्व

टायगर रिजर्व के बाहर (दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक)

क्र.सं.	तिथि	माह	वर्ष	राज्य	टायगर रिजर्व / क्षेत्र
1	13	अप्रैल	2018	पश्चिम बंगाल	लालगढ़
2	17	अप्रैल	2018	केरल	वायनाड वन्यजीव अभयारण्य
3	21	अप्रैल	2018	उत्तर प्रदेश	सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य
4	4	मई	2018	कर्नाटक	वीरजपेट डिवीजन
5	9	मई	2018	उत्तर प्रदेश	नगीना , बिजनौर
6	11	मई	2018	उत्तराखंड	हैदर वन प्रभाग
7	13	मई	2018	उत्तराखंड	दादरासोर , मोहन रेंज
8	11	जून	2018	मध्य प्रदेश	सोहागपुर बीट, दक्षिण बागड़ा
9	21	जून	2018	तमिलनाडु	गुडालुर डिवीजन, नीलगिरी जिला ।
10	1	जुलाई	2018	केरल	वायनाड डब्ल्यूएलएस, कुरिचिया रेंज
11	5	जुलाई	2018	महाराष्ट्र	ब्रह्मपुरी डिव।
12	14	जुलाई	2018	मध्य प्रदेश	डोरा थाना, मलाजखंड, सामनापुर , उत्तरी बालाघाट
13	15	जुलाई	2018	महाराष्ट्र	ब्रह्मपुरी डिवीजन
14	1	अगस्त	2018	कर्नाटक	काबिनी (मैसूर संभाग)
15	13	अगस्त	2018	महाराष्ट्र	वडोदरा रेंज, जलगाँव
16	23	अगस्त	2018	मध्य प्रदेश	कक्ष क्र.22, फेन अभ्यारण्य
17	1	सितंबर	2018	अंधरा प्रदेश	जीबीएम अभयारण्य, फेन अभयारण्य
18	25	सितंबर	2018	कर्नाटक	मैसूर डिवीजन, अरहोली बीट, मैसूर रेंज
19	5	अक्तूबर	2018	कर्नाटक	पेरिया-पतनम
20	26	अक्तूबर	2018	मध्य प्रदेश	सिवनी
21	27	अक्तूबर	2018	ओडिशा	डिबरीगाह
22	2	नवंबर	2018	महाराष्ट्र	पंधारकावडा
23	14	नवंबर	2018	महाराष्ट्र	एफडीसीएम, चंद्रपुर , जूनोना रेंज
24	14	नवंबर	2018	महाराष्ट्र	एफडीसीएम, चंद्रपुर , जूनोना रेंज
25	14	नवंबर	2018	महाराष्ट्र	एफडीसीएम, चंद्रपुर , जूनोना रेंज
26	4	दिसंबर	2018	मध्य प्रदेश	रातापानी वन्यजीव अभयारण्य
27	5	दिसंबर	2018	महाराष्ट्र	चिखलदरा , पूर्वी मेलघाट टा.रि.
28	29	दिसंबर	2018	असम	कार्बी आंगलोंग

29	30	दिसंबर	2018	महाराष्ट्र	पौनी राउंड उमरद करंदला
30	31	दिसंबर	2018	महाराष्ट्र	उमरद करंदला
31	31	दिसंबर	2018	महाराष्ट्र	चिकलधा पूर्वी मेलघाट टायगर रिजर्व
32	4	जनवरी	2019	महाराष्ट्र	चिकलदाहा पूर्वी मेलघाट टायगर रिजर्व
33	5	जनवरी	2019	तेलंगाना	कवाल टायगर रिजर्व के बाहर
34	11	जनवरी	2019	महाराष्ट्र	अमरावती
35	24	जनवरी	2019	मध्य प्रदेश	कक्ष क्र.81, कुठी टोला बीट
36	24	जनवरी	2019	तेलंगाना	मनडानमारीटाउन, मनचेरिया डिवीजन
37	21	फरवरी	2019	मध्य प्रदेश	कक्ष 783, डिंडोरी डिवीजन नहीं
38	12	फरवरी	2019	गुजरात	माहिसागर
39	28	फरवरी	2019	मध्य प्रदेश	बहियार रेंज, बालाघाट
40	7	मार्च	2019	मध्य प्रदेश	उत्तर शहडोल संभाग (गोडावल रेंज)
41	16	मार्च	2019	महाराष्ट्र	टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य
42	17	मार्च	2019	कर्नाटक	विराजपेट डिवीजन
43	27	मार्च	2019	उत्तर प्रदेश	दक्षिण खीरी , मोहम्मदी रेंज

*****

अनुलग्नक - (iii)

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

(केन्द्र प्रायोजित योजना व्याघ्र परियोजना : वर्ष 2018-19 में टायगर रिजर्ववार मंजूरी)

क्र.सं.	**टायगर रिजर्व**	**राज्य**	**वर्ष 2018-19 के दौरान निर्मोचन(लाख रु. में) ग्राम पुनर्वास सहित**
1.	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	217.992
2.	कामलांग	अरुणाचल प्रदेश	152.352
3.	पाक्के	अरुणाचल प्रदेश	442.95
4.	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	334.46
5.	ओरंग	असम	267
6.	मानस	असम	502.39
7.	नामेरी	असम	119.984
8.	काजीरंगा	असम	1030.25
9.	वाल्मीकि	बिहार	570.897
10.	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	133.17
11.	अचानकमार	छत्तीसगढ़	268.669
12.	उदांति - सीतानदी	छत्तीसगढ़	134.296
13.	पलामू	झारखंड	367
14.	काली (डंडेली आंशी)	कर्नाटक	508.8
15.	नागरहोल	कर्नाटक	415.032
16.	भद्रा	कर्नाटक	387.695
17.	बांदीपुर	कर्नाटक	634.53
18.	बीआरटी	कर्नाटक	321.371
19.	पेरियार	केरल	365.75
20.	परम्बिकुलम	केरल	287.28
21.	पेंच	मध्य प्रदेश	514.16
22.	पन्ना	मध्य प्रदेश	389.12
23.	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	337.22
24.	कान्हा	मध्य प्रदेश	717.46
25.	संजय दुबरी	मध्य प्रदेश	935.35
26.	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	2450.58
27.	मेलघाट	महाराष्ट्र	8049.752

28.	बोर	महाराष्ट्र	381.89
29.	नवेगांव – नागजीरा	महाराष्ट्र	681.33
30.	तदोबा – अंधारी	महाराष्ट्र	823.718
31.	पेंच	महाराष्ट्र	726.84
32.	सह्याद्री	महाराष्ट्र	386.06
33.	डमपा	मिजोरम	318.842
34.	सतकोसिया	ओडिशा	371.442
35.	सिमलीपाल	ओडिशा	650.88
36.	मुकुंदरा	राजस्थान	150.7
37.	रणथंभौर	राजस्थान	276.69
38.	सरिस्का	राजस्थान	364.44
39.	केएमटीआर	तमिलनाडु	290.312
40.	मुदुमलई	तमिलनाडु	1405.573
41.	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	337.132
42.	अनामलाई	तमिलनाडु	333.806
43.	कवल	तेलंगाना	979.38
44.	अमराबाद	तेलंगाना	136.27
45.	कॉर्बेट	उत्तराखंड	447.046
46.	राजाजी	उत्तराखंड	238.29
47.	दुधवा	उत्तर प्रदेश	935.69
48.	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	481.57
49.	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	456.22
50.	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	262.79
51.	एआईटीई, 2018		24.8625
	कुल		**32317.284**

*****

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

(वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों को निर्मोचित केन्द्र प्रायोजित व्याघ्र परियोजना निधि)

क्रम सं.	**राज्य**	**निर्मोचित राशि (लाख रु. में) ग्राम पुनर्वास और एआईटीई, 2018 सहित**
1.	आंध्र प्रदेश	217.992
2.	अरुणाचल प्रदेश	929.762
3.	असम	1919.62
4.	बिहार	570.897
5.	छत्तीसगढ़	536.135
6.	झारखंड	367.00
7.	कर्नाटक	2267.43
8.	केरल	653.03
9.	मध्य प्रदेश	5343.89
10.	महाराष्ट्र	11049.6
11.	मिजोरम	318.842
12.	ओडिशा	1022.32
13.	राजस्थान	791.83
14.	तमिलनाडु	2366.82
15.	तेलंगाना	1115.65
16.	उत्तराखंड	685.336
17.	उत्तर प्रदेश	1417.26
18.	पश्चिम बंगाल	719.01
19.	नागालैंड	24.8625
कुल		**32,317.284**

<u>वर्ष 2018-19 के लिए योजना व्यय (दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)</u>

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	बजट शीर्ष	ब. अ. 2018-19	सं. अ. 2018-19	व्यय	सं.अ. की तुलना में % व्यय	बचत
	व्याघ्र परियोजना योजना					
1.	3601.06.101.02.01.31(राज्य सरकारों को सहायता) सामान्य अनुदान सहायता	277.00	263.90	241.3906	91.47%	22.509
2.	3601.06.796.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता)<u>जनजाति उप योजना</u> (**टीएसपी**), सामान्य अनुदान सहायता	17.00	30.10	30.10	100%	0.00
3.	3601.06.789.02.01.31 (राज्य सरकारों को सहायता) <u>अनुसूचित जाति उप योजना</u> (**एससीएसपी**), सामान्य अनुदान सहायता	20.00	20.00	20.00	100%	0.00
4.	2552.00.114.06.03.31 (पूर्वोत्तर क्षेत्र को सहायता) सामान्य अनुदान सहायता	35.00	35.00	31.6823	90.52%	3.317
*5	2406.02.110.15.03	1.00	1.00	0.27	27.00%	0.73
	कुल	**350.00**	**350.00**	**323.4429**	**92.49%**	**26.5571**
1.	**2406.02.110.17.03 (राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण) (विस्तृत शीर्ष)**					
(क)	17.03.31 सामान्य अनुदान समान्य	7.20	8.20	8.1916	99.95%	0.0039
(ख)	17.03.36 अनुदान सहायता वेतन	1.80	1.80	1.6714	92.85%	0.1286
	कुल	**9.00**	**10.00**	**9.8675**	**98.675%**	**0.1325**

अनुलग्नक - (IV)

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशिरु. में)

समग्र/पूंजीगत निधि एवंदेयताएं	**अनुसूची**	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
समग्र/पूंजीगत निधि	1	4,71,50,103	7,41,97,018
आरक्षिति एवं अधिशेष	2	-	-
उद्दिष्ट एवं स्थायी निधि	3	-	-
जमानती ऋण एवं उधार	4	-	-
गैर-जमानती ऋण एवं उधार	5	-	-
आस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं एवं उपबंध	7	10,89,936	25,394
कुल		**4,82,40,039**	**7,42,22,412**
आस्तियां			
अचल आस्तियां	8	3,81,32,275	4,27,67,056
उद्दिष्ट एवं स्थायी निधियों से निवेश	9	-	-
निवेश-अन्य	10	-	-
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिमआदि	11	1,01,07,764	3,14,55,356
विविधव्यय (बट्टे खाते या समायोजित न करने की सीमा तक)		-	-
कुल		**4,82,40,039**	**7,42,22,412**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं संबंधी टिप्पणियां	25		

अनुलग्नक - (V)

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्री यव्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

दिनांक **31.03.2019 को समाप्त वर्ष**

के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

आय	अनुसूची	चालूवर्ष	पिछलावर्ष
			-
बिक्री/सेवाओं से आय	12		
अनुदान/सहायता	13	9,86,73,952	11,50,00,000
शुल्क/अभिदान	14	-	-
निवेशोंसे आय (उद्दिष्ट / स्थायी निधियों से निवेश पर आय। निधियां, निधियों मे अंतरित)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	12,85,342	23,80,484
अन्य आय	18	6,899	-
तैयार माल और डब्ल्यूआईपी के भण्डार में वृद्धि (कमी)	19		
कुल (क)		**9,99,66,193**	**11,73,80,484**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	2,42,64,754	2,70,22,898
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,73,93,438	1,61,74,743
अनुदान, उपदानआदिपरव्यय	22	6,11,04,723	7,37,26,640
ब्याज (पेशगी राशि की प्राप्ति)	23	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग - अनुसूची - 8)		54,72,648	60,89,883
कुल (ख)		**10,82,35,563**	**12,30,14,164**
व्यय से अधिक आय (क - ख)		-82,69,370	-56,33,680
विशेष आरक्षिति के लिए अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)		-	-
सामान्य रिज़र्व से/कोअंतरण		-	-
अतिरिक्त शेष राशि को समग्र/पूंजीगत निधि में आगेलेजा यागया		-	-
घाटे की शेष राशि को समग्र/पूंजीगत निधि में आगे लेजाया गया		82,69,370	56,33,680
महत्वपूर्ण लेखानीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओंसंबंधी टिप्पणियां	25		

अनुलग्नक - (VI)

वित्तीय विवरण (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त अवधि / वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशिरु. में)

प्राप्तियां	चालूवर्ष	पिछलावर्ष	भुगतान	चालूवर्ष	पिछलावर्ष
I.प्रारंभिकरोकड़	.	.	**1. व्यय**		
(क) रोकड़शेष			(क) स्थापनाव्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	2,42,64,754	2,70,22,898
पेशगी	1,00,000	1,00,000	घटाएं : वेतन प्रावधान	..... 10,64,542.	
(ख) बैंकशेष					
i) चालूखातोंमें			(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार)	1,56,78,712	1,34,80,162
ii) जमा खातोंमें	1,84,16,242	1,94,90,458	(ग) व्याघ्र फाउंडेशन को अनुदान सहायता	6,11,04,723	7,37,26,640
iii) बचतखातों में	15,30,852	26,89,592			
II. प्राप्तअनुदान			**II. विभिन्न परियोजनाओं की निधियों के लिए भुगतान**		
(क) भारतसरकारसे	9,86,73,952	11,50,00,000	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथनिधिया परियोजना का नाम दर्शायाजाना चाहिए)		
(ख) राज्यसरकारसे	-	-			
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण सहित)					
(पूंजी के लिए सहायता एवं राजस्वव्यय को अलग से दर्शाया जाए)			iii) अनुसंधान परियोजनाएं		
			iv) प्रशिक्षण, कार्यशाला,सम्मेलन	17,14,726	26,94,581

III. निम्नलिखित निवेश से आय			**III.किए गए निवेश एवं जमा**		
(क) उद्दिष्ट / वृर्तिदान निधियां			उद्दिष्ट / वृर्तिदान निधियोंमेंसे		
(ख) स्व-निधियोंसे (अन्यनिवेश)			(ख) स्व-निधियोंमेंसे (अन्यनिवेश)	-	-
IV. प्राप्तब्याज			**IV. अचल आस्तियों तथा चालू पूंजीगत कार्यों पर व्यय**		
(क) बैंकजमासे	12,85,342	23,80,484	(क) अचल आस्तियों की खरीद	8,37,867	25,03,524
(ख) ऋण, अग्रिम आदि से	-	-	(ख) चालू पूंजी गत कार्य पर व्यय		
V. अन्य आय (उल्लेख करें)			**V. अतिरिक्त राशि /ऋण की चुकौती**		
बैंक प्रभारों की चुकौती	-	-	(क) भारत सरकार को	1,87,77,545	
पिछले वर्ष एस 0ओ0(राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण) को किए गए अतिरिक्त भुगतान की चुकौती	-	-	(ख) राज्य सरकार को		
पुरानी वस्तुओं की बिक्री सेप्राप्ति	5,019	-	(ग) अन्य निधि प्रदाताओं को		
VI. **उधार ली गई राशि**			**VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)**	-	-
VII. **अन्य प्राप्तियों (उल्लेख करें)**			**VII. अन्य भुगतान (उल्लेख करें)**		
(क) विविध प्राप्तियां	1,880	-	(क) टीडीएसका भुगतान		
(i) सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वापिस लौटाया गया शेष अ प्रयोज्य अग्रिम	-	-	(ख) प्रतिभूति जमा / अवमुक्त	6,684	50,000.00
(ख) स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	-	-	(ग) समायोज्य राशि (अन्य विभागों द्वारा)		
(ग) प्रतिभूतिजमा	2,000	50,000	(घ) नकद वसूली	20,49,168	6,88,556

			योग्य अग्रिम अथवा वसूली मूल्य		
(घ) अग्रिमों की वसूली	1,09,23,810	5,02,921	(ड़) स्टाफ के लिए अग्रिम राशि	.	.
(झ) टीडीएसकी वसूली	.	.	(च) अन्य विभागों को भुगतान (वेतन बिल से वसूली)	.	.
(च) स्टाफ कार वसूली			(छ) बैंकप्रभार	-	-
(छ) लाईसेंस शुल्क			(ज)-पेशगी अग्रिम की प्राप्ति	-	-
(ज) वेतन बिलों से वसूली, अन्य विभागों से समायोज्य					
(झ) आस्तियों की बिक्री से आय		-			
(ञ) वसूलीगई जीआईए					
(ट) पिछले वर्ष कि एगएछुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान कावापिसप्राप्तहोना			**VIII. खाते बंद करते समय शेष**		
			(क) उपलब्धनकद		
			पेशगी	1,20,000	1,00,000
			(ख) बैंकशेष		
			(i) चालूखातोंमें		
			(ii) जमाखातोंमें	-	1,84,16,242
			(iii) बचतखातोंमें	74,49,460	15,30,852
कुल	**13,09,39,097**	**14,02,13,455**		**13,09,39,097**	**14,02,13,455**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम **राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण**

दिनांक **31.03.2019 कोतुलनपत्रमें शामिल अनुसूचियां**

अनुसूची **1 -** समग्र / पूंजीगत निधि

(राशिरु. में)

अनुसूची1 -समग्र/पूंजीगतनिधि:	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
वर्षकेप्रारंभमेंशेषराशि	7,41,97,018	7,98,30,698
जोड़ें : निबल आय की शेष राशि (आय एवं व्यय लेखा से अंतरित)		
घटाएं : निबल व्यय की शेष राशि	82,69,370	56,33,680
आय एवं व्यय लेखा से अंतरित		
घटाएं : वापस किया गया अंशदान / अनुदान (समग्र और पूंजीगत निधि से संबंधित)	1,87,77,545	-
वर्षान्त में शेष राशि	**4,71,50,103**	**7,41,97,018**

संस्था का नाम **राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण**

दिनांक **31.03.2019 कोतुलनपत्रमें शामिल अनुसूचियां**

अनुसूची 2 - आरक्षिति और अधिशेष

(राशिरु. में)

क-आरक्षिति और अधिशेष:	**चालूवर्ष**		**पिछलावर्ष**	
1.<u>पूंजी आरक्षित निधि</u> :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
2. <u>पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति निधि</u> :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
3. **<u>विशेष आरक्षिति निधि</u>** :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
4. **<u>सामान्य आरक्षिति निधि</u>** :				
अंतिम लेखा के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-	-	-
<u>कुल</u>		-		-

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 कोतुलनपत्रमें शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 3 -उद्दिष्ट / स्थायी निधियां

(राशिरु. में)

अनुसूची - 3 - उद्दिष्ट / स्थायी निधियां	**निधिवार अलग अलग विवरण**				**कुल**	
	निधि कक	**निधि खख**	**निधि गग**	**निधि घघ**	**चालू वर्ष**	**पिछले वर्ष**
क) निधियों का प्रारंभिक शेष						
ख) निधियों में जोड़	.	.	.	.	.	.
i) दान / अनुदान	.	.	.	.	.	.
ii) निधियों की राशि से किए गए निवेश से प्राप्त आय	.	.	.	.	.	.
iii) अन्य जोड़ (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	.	.	.	.	.	.
कुल (क+ख)	.	.	.	.	.	.
ग) निधियों के प्रयोजन के मद में उपयोग / व्यय	.	.	.	.	.	.
i) पूंजीगत व्यय	.	.	.	.	.	.
- अचल आस्तियां	.	.	.	.	.	.
- अन्य	.	.	.	.	.	.
कुल	.	.	.	.	.	.
ii) राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी और भत्ता इत्यादि						
- किराया	.	.	.	.	.	.
- अन्य प्रशासनिक व्यय	.	.	.	.	.	.
कुल	.	.	.	.	.	.
कुल (ग)	.	.	.	.	.	.
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख + ग)	.	.	.	.	शून्य	शून्य

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 4 -प्रतिभूत ऋण और उधार

(राशिरु. में)

क. प्रतिशत ऋण और उधार :

अनुसूची - 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार	**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**	
1. केन्द्र सरकार	.	.	.	.
2. राज्य सरकार (नाम बताएं)	.	.	.	.
3. वित्तीय संस्थाएं	.	.	.	.
क) सावधि ऋण	.	.	.	.
ख) प्रोद्भूत ब्याज और देय	.	.	.	.
4. बैंक :	.	.	.	.
क) सावधि ऋण	.	.	.	.
- प्रोद्भूत ब्याज और देय	.	.	.	.
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	.	.	.	.
- प्रोद्भूत ब्याज और देय	.	.	.	.
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	.	.	.	.
6. ऋण पत्र और बंध पत्र	.	.	.	.
7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.	.	.	.
कुल		-	.	**-**
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि				

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 5 -अप्रतिभूत ऋण और उधार

क. अप्रतिभूत ऋण और उधार :

(राशि रुपए में)

अनुसूची5 -अप्रतिभूत ऋण और उधार	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. केन्द्र सरकार	.	.
2. राज्य सरकार (नाम बताएं)	.	.
3. वित्तीय संस्थाएं	.	.
4. बैंक :	.	.
क) सावधि ऋण	.	.
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	.	.
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	.	.
6. ऋण पत्र और बंध पत्र	.	.
7. मियादी जमा	.	.
8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	.	.
कुल		
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि		

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 6-आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि रुपए में)

क -आस्थगित ऋण देयताएं	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
क) पूंजीगत उपस्कर और अन्य आस्तियों के बंधक से प्रत्याभूत स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि	-	-

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 7 -चालू देयता एवं प्रावधान

(राशिरु. में)

क. चालूदेयताएं	चालूवर्ष	पिछलावर्ष
1. स्वीकृतियां	-	-
2. विविध उधारकर्ता	-	-
क) वस्तुओं के लिए	-	-
ख) अन्य	-	-
3. प्राप्त अग्रिम	-	-
4. प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं है	-	-
क) प्रतिभूत ऋण/उधार	-	-.
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार	-	-
5. अन्य चालू देयताएं	-	-
(i) मंत्रालय को लौटाई जाने वाली अनुदान सहायता	-	-
(ii) मंत्रालय को लौटाई जाने वाली अव्ययित अनुदान सहायता	-	-
(iii) मंत्रालय को लौटाया जाने वाला ब्याज	25,394	25,394
(iv) लौटाई जानेवाली प्रतिभूति		
कुल (क)	**25,394**	**25,394**
ख. प्रावधान :		
1. कराधान के लिए	-	-
2. उपदान	-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन	-	-
(i) अधिवर्षता स्कीम में अंशदान	-	-
4. संचित अवकाश नकदीकरण	-	-
5. व्यापारवारंटी	-	-
6. वेतन	10,64,542	
7.अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (ख)	10,64,542.	-
कुलयोग (क+ख)	10,89,936.	**25,394**

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 8 - अचल आस्तियां

(राशिरु. में)

विवरण	सकलब्लॉक					मूल्यह्रास						निवलब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्य (क)	वर्ष के दौरान संवर्धन (ख)		वर्ष के दौरान कटौतियां (ग)	वर्षान्त में लागत/मूल्य (घ)	मूल्यह्रास दर% (ड़)	वर्ष के आरंभमें (च)	निम्न केदौरान संवर्धन(छ)		वर्ष के दौरान कटौतियां (ज)	वर्षान्त तक कुल योग (झ)	चालू वर्ष के अंत में(घ-च-छ)	पिछले वर्ष के अंत में
		1.4.2018-30.9.2019	1.10.2018-31.3.2019					1.4.2018-30.9.2019	1.10.2018-31.3.2019				
मूर्त आस्तियां													
भवन	2,27,81,472	-	-	-	2,27,81,472	10%	22,78,147	-	-	-	2,27,81,472	2,05,03,325	2,27,81,472
फर्नीचर, फिक्सचर	15,10,924	-	3,94,420	-	19,05,344	10%	1,51,092	-	19,721	-	1,70,813	17,34,531	15,10,924
वाहन	17,53,156	-	-	-	17,53,156	15%	2,62,973	-	-	-	2,62,973	14,90,183	17,53,156
सचल एवं संवहन उपकरण	1,36,079	-	-	-	1,36,079	15%	20,412	-	-	-	20,412	1,15,667	1,36,079
कार्यालयउपकरण	17,75,213	47,957	45,000	-	18,68,170	15%	2,66,282	7,194	3,375	-	2,76,851	15,91,319	17,75,213
निगरानी	1,40,37,483				1,40,37,483	15%	21,05,622	-	-	-	21,05,622	1,19,31,861	1,40,37,483

इले. प्रणाली													
कंप्यूटर/पेरीफेरल	3,88,692	1,65,100	88,400	-	6,42,192	40%	1,55,477	66,040	17,680	-	2,39,197	4,02,995	3,88,692
लाईब्रेरीपुस्तकें	53,830	-	-	-	53,830	40%	21,532	-	-	-	21,532	32,298	53,830
वैज्ञानिक/ तकनीकी उपकरण	-	96,990	-	-	96,990	15%	-	14,549	-	-	14,549	82,441	-
अमूर्त आस्तियां													
वेबसाइट	3,30,207		-	-	3,30,207	25%	82,552	-	-	-	3,30,270	2,47,655	3,30,207
चालूवर्षकाकुलयोग	**4,27,67,056**	**3,10,047**	**5,27,820**	-	**4,36,04,923**		**53,44,089**	**87,783**	**40,776**	-	**2,62,23,628**	**3,81,32,275**	**4,27,67,056**

वित्तीयविवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को तुलनपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 9 - उद्दिष्ट/स्थायी निधियों से निवेश

(राशि रुपए में)

उद्दिष्ट / स्थायी निधियों से निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. समनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 10 - अन्य निवेश

(राशिरु. में)

अन्य निवेश	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋणपत्र और बंधपत्र	-	-
5. समनुषंगी और संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्टकरें)	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को तुलनपत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशिरु. में)

क .चालू आस्तियां:	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
1. सामानसूची :		
क) स्टोर्स तथा अतिरिक्त पुर्जे	-	-
ख) खुले औजार	-	-
ग) स्टॉक इन ट्रेड	-	-
तैयारवस्तुएं	-	-
चालूकार्य	-	-
कच्चामाल	-	-
2. विविध कर्जदार :		
क) 6 महीने से ज्यादा अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. उपलब्ध नकद (चैक/ड्राफ्ट तथा पेशगी सहित)		
उपलब्ध नकदी	-	-
पेशगी	1,20,000	1,00,000
4. बैंक में शेष राशि		
क) अनुसूचित बैंकों सहित:		
- चालू खातों पर	-	-
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि शामिल है)		1,84,16,242
- बचत खातों पर	74,49,460	15,30,852
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के साथ:		
- चालू खातों पर	-	-
- जमा खातों पर	-	-
- बचत खातों पर	-	-
5. डाकघर - बचतलेखा	-	-
कुल (क)	**75,69,460**	**2,00,47,094**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 11 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशिरु. में)

ख .ऋण, अग्रिम तथा अन्य आस्तियां	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
1. ऋण :	-	-
क. कर्मचारी	-	-
खसंस्था के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में कार्यरत अन्यसंस्थाएं	-	-
ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. नकद रुप में प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियोंमें		-
क. पूंजीगत लेखे पर		-
ख. पूर्व भुगतान		
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिमभुगतान	8,68,599	65,91,030
राज्य पीडब्ल्यूडी, बेंगलुरुको अग्रिम	3,16,000	3,16,000
अन्य	7,76,776	39,28,987
	-	-
ग. अन्य		
प्रतिभूति जमा	62,184	57,500
स्रोत पर कर कटौती	5,14,745	5,14,745
3. प्रोद्भूतआय :		
क) उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर	.	.
ख) निवेश पर - अन्य	.	.
ग) ऋण एवं अग्रिम से	.	.
घ) अन्य (वसूली न जाने के कारण आय रु.... शामिल है)	.	.
4. प्राप्तहुएदावे	.	.
कुल (ख)	**25,38,304**	**1,14,08,262**
कुल योग (क + ख)	**1,01,07,764**	**3,14,55,356**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को तुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 12 - बिक्री सेवाओं से आय

(राशिरु. में)

अनुसूची 12- बिक्री सेवाओं से आय	**चालू वर्ष**	**पिछला वश्र**
1) **बिक्री से आय**		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्ची सामग्री की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप्स की बिक्री	-	-
2) **सेवाओं से आय**		
क) श्रम एवं संसाधन प्रभार	-	-
ख) पेशेवर / परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमिशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाए (उपस्कर / संपत्ति)	-	-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (ख)	**-**	**-**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्थाकानामराष्ट्रीयव्याघ्रसंरक्षणप्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय एवं व्यय लेखा में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची13 - अनुदान/सब्सिडी

(राशिरु. में)

(अप्रतिसंहरणीय अनुदानतथाप्राप्तसब्सिडी)	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
1. केन्द्रसरकार	**9,86,73,952**	**115,000,000**
2. राज्यसरकार/सरकारें	-	-
3. सरकारीएजेंसियां	-	-
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (उल्लेखकरें)/बैंक टीआरएफ विविध	-	-
कुल	**9,86,73,952**	**11,50,00,000**
अनुदानों का अव्ययित शेष		
कुल	**9,86,73,952**	**11,50,00,000**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्थाकानामराष्ट्रीयव्याघ्रसंरक्षणप्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय एवं व्ययलेखा में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

(राशिरु. में)

शुल्क/अभिदान	चालूवर्ष	पिछलावर्ष
1. प्रवेशशुल्क	-	-
2. वार्षिकशुल्क/अभिदान	-	-
3. सेमिनार/कार्यक्रमशुल्क	-	-
4. परामर्शशुल्क	-	-
5. अन्य (विनिर्दिष्टकरें)	-	-
कुल	**.**	**.**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय एवं व्ययलेखा में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 15 - निवेशों से आय

(राशिरु. में)

निवेशों से आय	**उद्दिष्ट निधि से निवेश**		**अन्य निवेश से**	
निधियों में अंतरित उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर आय	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
1. ब्याज	-	-	-	-
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख. अन्य बंध पत्र / ऋण पत्र	-	-	-	-
2. लाभांश	-	-	-	-
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल		**-**	-	**-**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नामराष्ट्रीय व्याघ्र संरक्ष णप्राधिकरण

आय एवं व्यय लेखा में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन से आय

(राशि रुपए में)

अनुसूची 16-रॉयल्टी / प्रकाशन से आय	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
1) रॉयल्टी से आय	-	-
2)प्रकाशन से आय	-	-
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय एवं व्ययलेखा में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 17-सावधि जमा / बचत खातों / ऋण पर अर्जित ब्याज

(राशि रुपए में)

1. सावधिजमा पर	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(क) अनुसूचित बैंकों में	3,39,155	9,20,881
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ग) संस्थानों में	-	-
(घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों में		
(क) अनुसूचित बैंकों में	9,46,187	14,59,603
(ख) गैर अनुसूचित बैंकों में	-	-
(ग) डाक घर बचत खातों में	-	-
(घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर		
(क) कर्मचारी	-	-
(ख) अन्य	-	-
4. देनदारों पर ब्याज एवं अन्य प्राप्तियां	-	-
कुल	**12,85,342**	**23,80,484**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय एवं व्यय लेखा में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 18-अन्य आय

(राशि रुपए में)

	चालूवर्ष	**पिछलावर्ष**
1. आस्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली आस्तियां	5,019	-
ख) अनुदानों से अधिग्रहित या नि:शुल्क प्राप्त आस्तियां	-	-
2. वसूली गयी निर्यात प्रोत्साहन राशि	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध		
(क) पिछले वर्ष के बट्टे खाते में डालेगए संभार	-	-
(ख) पहले जारी जीआईए जिसकी बाद में वसूली हुई	-	-
(ग) स्टॉफ अग्रिम पर प्राप्त ब्याज	-	-
(घ) मंत्रालय से वापिस प्राप्त आस्तियों का मूल्य	-	-
(ङ) विविधआय	1,880	-
कुल	**6,899**	-

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 कोतुलन पत्र में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 19-तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी

(राशि रुपए में)

तैयार माल के स्टॉक एवं प्रगतिधीन कार्य में वृद्धि / कमी	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
क) अंतिम स्टॉक	-	-
. तैयार माल		
. प्रगतिधीन कार्य		
ख) घटाएं : प्रारंभिक स्टॉक	-	-
. तैयार माल	-	-
. प्रगतिधीन कार्य	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय एवं व्यय लेखा में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 20 -स्थापना व्यय

(राशिरु. में)

	चालूवर्ष	**पिछलावर्ष**
क)वेतन तथा मजदूरी	2,42,10,796	2,66,24,752
ख)भत्ते तथा बोनस	-	-
ग)भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ)अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ड)स्टॉफ कल्याण व्यय	13,958	3,25,146
च)कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभों पर व्यय	-	-
छ)अन्य		
मानदेय	40,000	73,000
कुल	**2,42,64,754**	**2,70,22,898**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय एवं व्यय लेखा में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 21 -अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि रु. में)

	चालूवर्ष	**पिछलावर्ष**
क. खरीद		-
ख. सवारी भत्ता एवं गाड़ी भाड़ा	47,554	30,650
ग. मरम्मत एवं अनुरक्षण**		
भवन	88,09,479	-
अन्य	3,60,849	12,18,011
घ. वाहन चालनव्यय	3,10,660	1,93,796
ङ. वाहनअ नुरक्षण	1,27,639	69,821
च. डाकखर्च, टेलीफोन तथा संप्रेषण प्रभार	3,34,577	5,14,350
छ. मुद्रण, प्रकाशन तथा पत्र-पत्रिकाएं	1,16,513	5,92,465
ज. यात्रा व्यय	38,70,031	90,14,598
झ. विधिक और व्यवसायिक प्रभार	2,84,798	5,66,733
ञ. आतिथ्य व्यय	1,85,037	1,80,185
ट. विज्ञापन तथा प्रसार		
ठ. पेशेवर प्रभार		
ड. बिजली और पानी प्रभार	1,93,160	1,82,565
ढ. वितरण व्यय	-	-
ण. टीडीएस	-	-
त. मुद्रण तथा लेखन सामग्री	4,61,634	4,79,039
थ. इम्प्रेस्ट व्यय		
द. पुनर्स्थापन/संचलन व्यय		
ध. बैंक प्रभार	646	410
न. अन्य कार्यालय व्यय	4,85,416	3,66,429
प. किराया	90,719	71,110
फ. अप्रयोज्य आस्तियों की बिक्री से घाटा		
कुल (I)	**1,56,78,712**	**1,34,80,162**
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान		
प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सम्मेलनों/बैठकों पर व्यय	17,14,726	26,94,581
अनुसंधान परियोजना और मॉनीटरिंग परव्यय		
कुल (II)	**17,14,726**	**26,94,681**
III. मंत्रालय को वापसी योग्य जीआईए का शेष बकाया	-	-
कुल (I+II+III)	**1,73,93,438**	**1,61,74,743**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019को समाप्त अवधि / वर्ष के आय एवं व्यय लेखा में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 22 - अनुदान

(राशि रु. में)

अनुसूची22 - अनुदान	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
क. संस्थानों/संगठनों को दियागया अनुदान	6,11,04,723	7,37,26,640
मंत्रालय को वापसी योग्य अव्ययित अनुदानराहत	-	-
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
कुल	**6,11,04,723**	**7,37,26,640**

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण णप्राधिकरण

31.03.2019को समाप्त अवधि / वर्ष के आय एवं व्यय लेखा में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 23 - ब्याज

(राशि रु. में)

ब्याज	**चालूवर्ष**	**पिछलावर्ष**
क. सावधि ऋणों पर	शून्य	शून्य
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	शून्य	शून्य
ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्थाकानाम :राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त अवधि / वर्ष के आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची24 - महत्वपूर्ण लेखां नीतियां

1. <u>लेखांकन आधार</u>

वित्तीय विवरण, लेखांकन की आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. <u>अचल आस्तियां</u>

अचल आस्तियों में प्रापण की लागत, जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर तथा अनुषंगी एवं प्रापण संबंधी प्रत्यक्ष व्यय समाहित हैं।

अचल आस्तियां गैर-आर्थिक अनुदान के रूप में प्राप्त (कॉर्पस निधि के अतिरिक्त) मूल्यगत पूंजी के रूप में संगत पूंजी रिजर्व के रूप में वर्णित हैं।

3. <u>अवमूल्यन</u>

अचल आस्तियों पर अवमूल्यन आयकर अधिनियम, 1961 में प्रदत्त दरों पर ह्रासित मूल्य पर किया गयाहै। सितंबर माह के पश्चात् प्राप्त की गयी आस्तियों को आस्ति के लिए विहित अवमूल्यन दर के आधे दर पर अवमूल्यन किया गया है।

4. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों की गणना प्राप्ति आधार पर की गयी है।

5. सामान्य

लेखांकन नीतियां जो विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, अन्यथा तालमेल में हैं।

वित्तीय विवरण फार्म (लाभ निरपेक्ष संगठन)

संस्था का नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

31.03.2019 को समाप्त अवधि / वर्ष के आय एवं व्यय में शामिल अनुसूचियां

अनुसूची 25 : लेखाओं संबंधी आकस्मिक देयताएं एवं टिप्पणियां

<u>अनुसूची 25 : लेखाओं संबंधी आकस्मिक देयताएं एवं टिप्पणियां</u>

1. **आकस्मिक देयताएं :** संस्था के प्रतिदेयदावों को ऋण के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है - शून्य (पिछले वर्ष – शून्य)

2. **पूंजीगत वचनबद्धता :** पूंजीगत लेखे से निष्पादित नहीं हुई संविदाओं का प्राक्कलित मूल्य एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम के निवल) - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

3. **चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम**

   प्रबंधन के अनुसार, चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की कीमत कारोबार के सामान्य तरीके से वसूली करने पर पता लगती है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शायी गई संपूर्ण राशि के समान हो।

4. संलग्न अनुसूची 1 से 25, 31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र तथा उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं लेखे का अनिवार्य भाग है। पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों को पुन: श्रेणीबध्द/पुन: व्यवस्थित कर दिया गया है।

5. जमापर ब्याज आय को प्रोद्भूत आधार पर और सकल आंकड़ों में दर्शाया गया है और स्रोत पर कटौती को पृथक रूप से दर्शाया गया है।

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली – 110002

सं. सं.नि.वे.वि. / प. ले. / एनटीसीए / 2019-20/ 1119 **दिनांक : 20.02.2020**

सेवा में,

डॉ. अनुप कुमार नायक,
एडीजी (पीटी) एंड एमएस
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण,
7वां तल, दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड,नई दिल्ली : 110003

विषय : वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय बाध संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली की लेखाओं का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मुझे वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2018-19 के वा र्षिक लेखों कोसंस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया / अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद मे प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियां इस कार्यालय तथा दो प्रतियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियॉ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीय,

संलग्नक : पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ह./-

उप निदेशक (पर्या. ले.)

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथासंशोधित 2006 की धारा 38द के साथ पठित नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के संबद्ध तुलन – पत्र, आय एवं व्यय तथा प्राप्तियां एवं भुगतान की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तम लेखा व्यवहार, लेखा मानक एवं प्रकटन मापदंड के वर्गीकरण, अनुरूपता के संबंध में ही लेखा उपचार संबंधी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन तथा दक्षता सह-निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो तो, संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्टों / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टो में अलग दर्शाया गया है।

3. हमने भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण,तात्तिवक मिथ्या बयानी से मुक्त है, अपनी लेखापरीक्षा की आयोजना एवं निष्पादन करते हैं। लेखापरीक्षा में राशियों के अनुसमर्थन में लगे साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरण के प्रकटन का जांच आधार पर परीक्षण करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के साथ – साथ प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का निर्धारण करना भी शामिल है। हमें यह विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण, जो कि हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, प्राप्त किए हैं।

(ii) इस रिपोर्ट के साथ संबंध रखने वाले तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में बनाया गया है।

(iii) हमारी राय में, वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 38द की अपेक्षा के अनुसार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा लेखा उचित बही-खाता एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड का रखरखाव किया गया है और जैसा कि उन बही – खातों की जांच से प्रतीत होता है।

(iv)हम आगे सूचित करते हैं कि :

(अ) तुलन पत्र :

1. देयताएं (482.40 लाख रुपये)

1.1 (क) एनटीसीए के वर्ष 2018-19 के तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची – 7 ''वर्तमान देयताएं और प्रावधान'' से 'वेतन' शीर्ष के अंतर्गत बकाया व्यय के एक खाते में 10.65 लाख रुपए के एक प्रावधान का पता चला। तथापि, वर्ष 2018-19 के लिए वेतनों, बकाया राशियों और अंशदानों और बकाया भुगतान की वास्तविक राशि 26.22 लाख रुपए दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान वर्तमान देयताएं और व्यय, प्रत्येक में 15.67 लाख रुपए की कम बयानी हुई, जिसका कारण बकाया व्यय में कम प्रावधान किया जाना था।

1.1 (ख) इसके अलावा,'एनटीसीए वेबसाइट की पुनर्संरचना और विकास' के लिए अंतिम भुगतान के प्रति मैसर्स एनआइसीएसआई के पक्ष में 4.19 लाख रुपए के एक चेक का विक्रेता द्वारा नकदीकरण नहीं करवाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अगस्त, 2018 में नकदी बही में प्रतिलेखन किया गया था। तथापि, विक्रेता को देय उक्त राशि की कोई देयता सृजित नहीं की गयी थी और इस राशि को आय और व्यय लेखा की अनुसूची – 21 ''अन्य प्रशासनिक व्यय'' से संबंधित 'वेबसाइट अनुरक्षण' शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कमी कर समायोजित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 4.19 लाख रुपए के व्यय की कम बयानी के अलावा इस खाते की वर्तमान देयता की कम बयानी हुई। इस मुद्दे के संबंध में वर्ष 2017-18 में भी पूर्व लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इंगित करने के बावजूद इस त्रुटि में सुधार के लिए एनटीसीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

2. आस्तियां (482.40 लाख रुपए)

2.1 आस्तियों की कम बयानी

2.1.1 (i)'कंप्यूटर सॉफ्टवेयर' और 'एनटीसीए की वेबसाइट के लिए वेब अनुप्रयोग'की खरीद केमद में खर्च की गयी 3.59 लाख रुपए की एक राशि को अनुसूची – 21 ''अन्य प्रशासनिक व्यय'' के अंतर्गत क्रमश: 'कंप्यूटर मरम्मत एवं अनुरक्षण' और 'वेबसाइट अनुरक्षण' के रूप में बही में लिखा गया जो, वर्ष 2018-19 के

लिए 0.57 लाख रुपए के अवमूल्यन की कटौती के उपरांत, व्यय मं 3.02 लाख रुपए की अति बयानी के अलावा अचल आस्तियों की कम बयानी में परिणत हुई।

(ii) जुलाई 2015 से अक्तूबर 2017 के दौरान 'एनटीसीए के लिए वार्षिक प्रचालन योजना की प्रस्तुति के लिए ऑनलाइन आवेदन' के विकास हेतु मैसर्स एनआइसीएसआई को 16.22 लाख रुपएके भुगतान में सुधार के लिए इसे अनुसूची – 8 ''अचल आस्तियां'' के अंतर्गत 'प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य' के रूप में दर्शाने के स्थान पर गलत ढ़ंग से आय एवं व्यय लेखा से संबंधित अनुसूची - 21 ''अन्य प्रशासनिक व्यय'' के तहत 'मरम्मत एवं अनुरक्षण – वेबसाइट अनुरक्षण' शीर्ष के अंतर्गत बही में लिखा गया। वर्ष 2017-18 की पूर्व लेखा परीक्षा के दौरान इस मुद्दे की ओर इंगित करने के बावजूद वर्ष 2018-19 के दौरान ऐसा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान वर्ष 2018-19 के दौरान भी 16.22 लाख रुपए की पूर्व अवधिआय / समायोजन की कम बयानी के अलावा अचल आस्तियों (प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य) की कम बयानी हुई।

(ख) आय एवं व्यय लेखा

1**. व्यय (1082.36 लाख रुपए)**

1.1 (i) सीपीडब्ल्यूडी को दिए गए पुराने अग्रिमों का वर्तमान व्यय के रूप में समायोजन

वर्ष 2018-19 के दौरान,प्राधिकरण के बीकानेर हाउस स्थित पुराने कार्यालय में जीर्णोद्धार, सिविल और विद्युत कार्यो के लिए सीपीडब्ल्यूडी को 87.42 लाख रुपए के अग्रिम का निपटान किया गया और इसे वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि व्यय और व्यय दोनों में क्रमश: 87.42 लाख रुपए का अतिकथन और 87.42 लाख रुपए की कम बयानी हुई।

(ii)एक प्रतिनियुक्त कर्मचारी के छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान पर नवंबर, 2013 से जनवरी 2017 तक की अवधि के लिए 3.60 लाख रुपए का व्यय किया गया था। तथापि, मध्यवर्ती वर्षों के दौरान इन बकाया व्ययों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था और एनटीसीए इसे वर्ष 2018-19 के दौरान एक व्यय के रूप में बही में लिखा, जिसके परिणामस्वरूप इस लेखा में पूर्व अवधि व्यय में कम बयानी के अलावा व्यय में 3.60 लाख रुपए का अतिकथन हुआ।

(ग) सामान्य

1. ''व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निधि'' का गैर-सृजन

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972में संशोधन से संबंधित 4 सितम्बर 2006 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार,खंड 38ठ के अनुसार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के गठन से संबंधित अध्याय IVख अंत:स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के खंड 38थ(2) के अनुसार,'व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निधि' का गठन किया जाना था। सभी अनुदान, ऋण और शुल्क /अन्य प्रभार इत्यादि को इस निधि में जमा किया जाना अपेक्षित था, जिसका उपयोग व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को अपने प्रकार्यों के निवर्हन में व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के व्यय के अलावा, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक पर व्यय को पूरा करने के लिए किए जाने की जरूरत थी। तथापि, यह सृजित नहीं किया गया और इसे प्राधिकरण के वार्षिक लेखे में दर्शाया गया।

2. सेवांत हितलाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं

एनटीसीए ने प्राधिकरण में नियमित आधार पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अपने अधिकारियों / कर्मचारियों के सेवांत हितलाभों, अर्थात् उपदान, संचयित अर्जित छुट्टी, छुट्टी वेतन और पेंशन संबंधी हितलाभ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है और अनुसूची – 7 'वर्तमान देयताएं और प्रावधान' और / या अनुसूची – 20 'स्थापना व्यय' दोनों में शून्य शेष दर्शाया गया था, जबकि पिछले वर्षों की लेखा परीक्षाओं में भी इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था।

(घ) अनुदान सहायता

एनटीसीए ने 200.47लाख रुपये की प्रारंभिक बैंक / पेशगी शेष के अलावा वर्ष 2018-19 के दौरान 986.74 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता और 122.18लाख रुपये अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त किए। कुल 1309.39लाख रुपए की राशि में से प्राधिकरण ने 1233.70लाख रुपए का भुगतान किया था और 75.69 लाख रुपए का अंतिम बैंक शेष/पेशगी शेष बच गया।

(ञ) प्रबंधन पत्र

उन कमियां को जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, को उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई हेतु एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से अलग से जारी कर सदस्य सचिव, एनटीसीए के संज्ञान में लाया गया।

(v)पूर्व के अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अध्यधीन, हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चा किए गए तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां एवं भुगतान लेखाओं की बहियों से मेल खाते हैं।

(v) हमारी राय में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों एवं हमारी उत्तम सूचना के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण लेखाओं की नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पठित तथा ऊपर दिए गए महत्वपूर्ण विषय तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य विषय, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एवं सत्य हैं :

क. जहॉ तक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार एनटीसीए के तुलन पत्र, मामलों की स्थिति का संबंध है और

ख. जहॉ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे में घाटा का संबंध है।

स्थान : नई दिल्ली कृते और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की ओर से

ह./-

तिथि : लेखापरीक्षा महानिदेशक (एसडी)

(1)<u>आंतरिक लेखापरीक्षा / नियंत्रण प्रणाली</u>

(क) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

कुल 21 पैरा (06 वर्ष 2016-18 की अवधि के और 15 वर्ष 2010-16 की अवधि के) लंबित थे। वर्ष 2018-19 के लिए कोई आंतरिक लेखा परीक्षानहीं की गयी थी।

(ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

लेखा परीक्षा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कमियां पायीं गयीं :-

(i) प्राधिकरण ने केवल सीमित संविदा आमंत्रित कर 1.27 करोड़ रुपए की लागत पर संविदाकार के माध्यम से जनबल सेवाओं की हायरिंग के समय जीएफआर का बुरी तरह से उल्लंघन किया है।

(ii) प्राधिकरण ने अनुदान ग्राही संस्थानों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए प्रदत्त अनुदान में से सृजित आस्तियों के अभिलेख नहीं रखे हैं।

(iii)प्राधिकरण द्वारा निर्मोचित अनुदानों का रजिस्टर नहीं रखा है

जीएफआर 2017 के नियम 234 के अनुसार, स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा फॉर्म जीएफआर – 21 के अनुसार एक अनुदान रजिस्टर तैयार करना आवश्यक है, तथापि, वर्ष 2013-14 से वर्ष 2018-19 तक की अवधि के दौरान 2019.75लाख रुपये की अनुदान सहायता जारी करने के बावजूद इस तरह का रजिस्टर नहीं रखा गया है।

(2)उपयोगिता प्रमाण पत्र की निगरानी

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक निर्मोचित अनुदान सहायता के लिए 15 संस्थाओं से 299.59लाख रुपये के 27 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) का अभी भी इंतजार है।

(3)आस्तियों, भंडारों और पुस्तकालय के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

आस्तियों, भंडारों/ उपभोज्य वस्तुओं और पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन एनटीसीए द्वारा नहीं किया गया है।

(4) बैंक मिलान विवरण

एनटीसीए ने मार्च/जुलाई, 2019 माह का बैंक मिलान विवरण प्रस्तुत नहीं किया था, जो मार्च, 2019 से पूर्व का लंबित चेक नहीं दिखाता है।

(5) बकाया सांविधिक देयताएं

प्राधिकरण पर वर्ष 2018-19 के दौरान देय होने की तिथि से छह माह से अधिक समय तक कोई सांविधिक देय बकाया नहीं था।

हस्ताक्षर

उप निदेशक (ई.ए.)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग
ए. जी. सी. आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली – 110002

सुनील दाढ़े, भा.ले.प.ले.से.

अ.शा.म.नि.ले.प. / वै.वि./पर्या/एसएआर/एनटीसीए/2019-20/1122
दिनांक : 20.02.2020

प्रिय डॉ. नायक,

मैंने राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और दिनांक 20.02.2020 के पत्र के तहत तत्संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान कुछ कमियां देखी गयीं जो तुलनात्मक रूप से गौण थे और इसलिए इन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था, अब **अनुलग्नक – क** के रूप में संलग्न है।इन्हें उपचारात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

सादर,

भवदीय,
हस्ताक्षर

संलग्नक : यथोपरि

डॉ. अनुप कुमार नायक,
अपर महानिरीक्षक (व्याघ्र परियोजना) एवं सदस्य सचिव
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
7वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003

अनुलग्नक 'क'

(i) प्राधिकरण के 'व्याघ्र प्रकोष्ठ' की आस्तियों और देयताओं का गैर-प्रकटन

एनटीसीए तकनीकी समिति ने, सितंबर, 2014 में, डब्ल्यूआईआई द्वारा एनटीसीए को तकनीकी सहायता को संस्थागत करने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान – देहरादून में एक 'व्याघ्र प्रकोष्ठ' के सृजन की मंजूरी दी थी। पॉच वर्षों की अवधि (वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक) के लिए इस प्रकोष्ठ के प्रचालन हेतु 4.78 करोड़ रुपए (डब्ल्यूआईआई के 1.53 करोड़ रुपए के अंशदान सहित) का बजट आवंटित किया गया था, जिसे बाद में बजटीय लागत में परिवर्तन के लिए बिना किसी मूल्यांकन के परिवर्तित कर 4.87 करोड़ रुपए कर दिया गया था। दिनांक 30.12.2015 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, इस प्रकोष्ठ का प्रशासनिक नियंत्रण डब्ल्यूआईआई के पास रहेगा जबकि वित्तीय नियंत्रण और व्याघ्र प्रकोष्ठ के वेतन भुगतान का जिम्मा एनटीसीए के पास रहेगा। तथापि,वार्षिक लेखों में डब्ल्यूआईआई से प्राप्त अंशदान के मद में ना कोई आस्ति और प्रकोष्ठ के लेखा में बकाया व्यय इत्यादि के कारण किसी देयता का प्रकटन नहीं किया गया है।

(ii) वाउचर नहीं बनाना

विभिन्न पक्षकारों को किए गए भुगतान के लिए, एनटीसीए जीएआर 29-पूर्णत: संप्रमाणित आकस्मिक बिल के प्ररूप में रसीद तैयार करता रहा। इसी प्रकार, प्राप्तियों के लिए टीआर-5 में प्राप्तियों के निर्गम के पश्चात् कोई रसीद नहीं बनाई गयी। लेखा में रोजनामचा प्रविष्टियों हेतु कोई भौतिक रसीद/रजिस्टर इत्यादि नहीं रखे गए। इस प्रकार, पिछले वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने के बावजूद प्रत्येक प्राप्ति / भुगतान के लिए रसीद बनाने के मूल नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

एनटीसीए ने इस टिप्पणी को स्वीकार किया है (नवंबर, 2019) और अनुपालना हेतु नोट कर लिया है।

(iii) पूर्व वर्ष के दौरान की गयी लेखा परीक्षा के दौरान हिदायत दिए जाने के बावजूद लेखा की अनुसूची-7 'वर्तमान देयताएं और प्रावधान' में एनटीसीए ने 'लेखापरीक्षा शुल्क' के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।

एनटीसीए ने इस टिप्पणी को स्वीकार किया है (नवंबर, 2019) और अनुपालना हेतु नोट कर लिया है।

(iv) फर्निचर (सीबी बिल – एसवी – 232 दिनांक 17.8.2017 के तहत 14 रिवोल्विंग कुर्सियां) की खरीद के मद मे 0.93 लाख रुपए की राशि की आस्ति को बही में लिखने में सुधार, जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान गलत तरीके से अनुसूची – 21 ''अन्य प्रशासनिक व्यय'' के अंतर्गत 'मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य' के रूप में बही में लिखा गया था, जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान सुधार नहीं किया गया, जिसमें 0.18 लाख रुपए के अवमूल्यन के समायोजन के पश्चात् 0.75 लाख रुपए की पूर्व अवधि आय / समायोजन की कम बयानी के अलावा अचल आस्तियों की कम बयानी हुई।(v) स्रोत पर कटौती (टीडीएस) जिसमें भारतीय स्टेट बैंक में धारित मियादी जमाओं पर ब्याज पर कटौती की गयी 0.24 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप इस खाते हुई आया की कम बयानी के अलावा चालू आस्तियों मं 0.24 लाख रुपए की कम बयानी हुई।

(vi) 0.45 लाख रुपए लागत पर खरीदे गए एक कंप्यूटर को 'कंप्यूटर एवं पेरिफेरल'के स्थान पर 'कार्यालय उपकरण'शीर्ष के अंतर्गत बही में चढ़ाया गया। अवमूल्यन की विभेदक दर के कारण (अर्थात. छ: माह के लिए 15 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत प्रभारित किया जाना था), अचल आस्तियों में 0.06 लाख रुपए के कम व्यय बयानी के अलावा अचल आस्तियों में उतनी ही राशि का अतिकथन हुआ।

(vii) 'अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा''पर ब्याज के रूप में 3.39 लाख रुपए की राशि अर्जित की गयी। तथापि, बैंक से प्राप्त ब्याज प्रमाण पत्र में इसके 2ऋ41 लाख रुपए होने का पता चला। इसके परिणामस्वरूप में पूर्व अवधि आय में कम बयानी, क्योंकि वर्ष के दौरान अर्जित के रूप में दर्शाया गया आधिक्य ब्याज पूर्व के वर्षों का था, के अलावा आय में 0.98 लाख रुपए का अतिकथन हुआ।

(viii)जैसा कि पूर्व के वर्षों (अर्थात् 2017-18) में प्राधिकरण के वार्षिक लेखे पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया था, अप्रैल/मई 2018 के दौरान बही में चढ़ाए गए वर्ष 2017-18 से संबंधित 11.65 लाख रुपए के व्यय के लिए सुधार प्रविष्टियां पारित की जानी थी। तथापि, कोई सुधार प्रविष्टि पायी / पारित नहीं की गयी थी और इसे वर्तमान वर्ष के लेखे में लेखांकित किया गया जिसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि व्यय में 11.65 लाख रुपए की कम बयानी के अलावा व्यय में उतनी ही राशि का अतिकथन हुआ।

ह/-

उप निदेशक (ई.ए.)

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए), नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के लेखों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों का परिणाम दर्शाने वाला विवरण

मद	अत्युक्ति	कम बयानी
देयताएं		15.57+4.19 = 19.76
आस्तियां	0.06	3.02+16.22+0.75+0.24=20.23
आय	0.98	
व्यय	87.42+11.65+3.60=102.67	

आय और व्यय में क्रमश: 0.98 लाख रुपए और 102.67 लाख रुपए के अतिकथन के अलावा देयताओं और आस्तियों में क्रमश: 19.76 लाख रुपए और 20.17 लाख रुपए की कम बयानी हुई।

ह/-

उप निदेशक (ई.ए.)